महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए

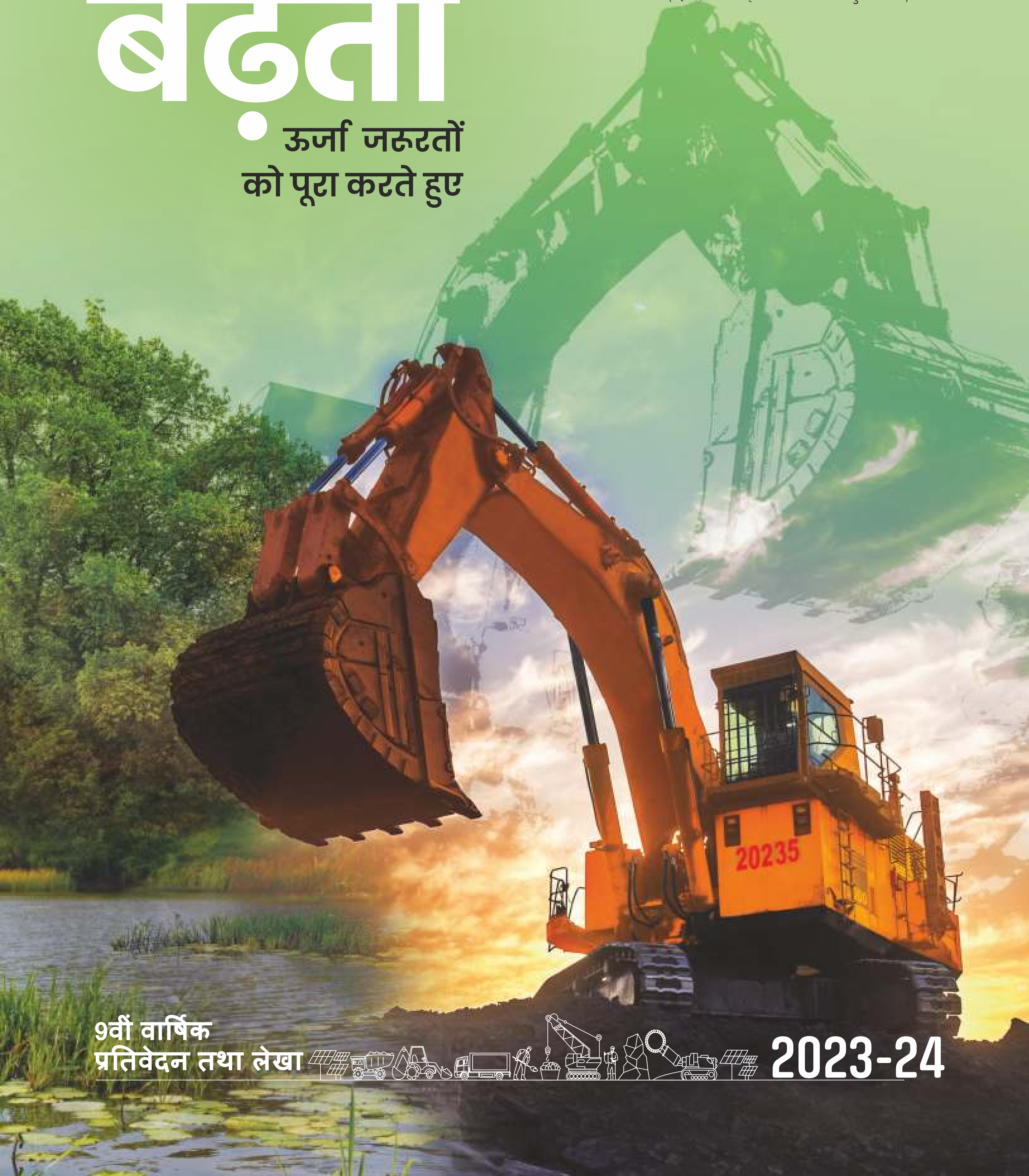

9वीं वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

2023-24

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

9वीं वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा 2023-24

क्र.	विषय	पृष्ठा
1.	कंपनी की जानकारी	3
2.	सूचना	4-5
3.	निदेशकों का प्रतिवेदन	6-14
4.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	15-27
5.	सिचवीय लेखा परीक्षकों रिपोर्ट	28-30
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	31-32
6.	महालेखा परीक्षक की टिप्पणियो पर प्रबंधन क उत्तर	33-37
7.	वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणी	38-103

विषय सूची

कंपनी की जानकारी
वर्ष 2023-24 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष

श्री केशव राव	(01.11.2023 से प्रभावी)
श्री ओ पी सिन्हा	(31.10.2023 तक)

निदेशक

श्री के के राउल	(20.07.2023 तक)
श्री एस के सिन्हा	(21.07.2023 से प्रभावी)
श्री ए के बेहुरा	(01.11.2023 से प्रभावी)
श्री बी के दास	(18.04.2023 तक)
श्री एम मल्लिक	(19.04.2023 से प्रभावी)
श्री एम मल्लिक	(31.10.2023 तक)
श्री एस के सेठी	(01.11.2023 से प्रभावी)
श्री पराग वर्मा	(21.07.2023 से प्रभावी)
श्री पी आर पाढ़ी	(09.05.2022 से प्रभावी)
श्री सुरेंदर सिन्हा	(20.07.2023 तक)
सुश्री रागनी आडवाणी	(26.05.2022 से प्रभावी)
श्री एस नायक	सीईओ
श्री बी के परिडा	सीएफओ
श्री एस के बेहेरा	सीएस

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स मिश्रा बढ़ई एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
संबलपुर, ओडिशा।

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स,
अभ्यासरत कंपनी सचिव,
संबलपुर, ओडिशा-768004

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संबलपुर
आईसीआईसीआई बैंक, भुवनेश्वर
एक्सिस बैंक लिमिटेड, संबलपुर

पंजीकृत कार्यालय

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड, जागृति विहार,
बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020

9वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की 9वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को अपराह्न 12.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एमसीएल ऑफिस, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा - 768020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोजित की गई।

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का लेखापरीक्षित तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की रिपोर्ट शामिल हैं।

2. श्रीमती रागिनी आडवाणी (डीआईएन: 09575213) को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाली हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं।

3. श्री एस. के. सिन्हा (डीआईएन: 10368492) को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-
(एस के बेहेरा)
कंपनी सचिव

टिप्पणी:

1. कॉर्पोरेट निकाय, दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने अथवा वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित बैठक में भागीदारी और मतदान के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने के हकदार हैं। इसलिए, कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें, जिसमें उनके प्रतिनिधि को वार्षिक आम बैठक से पूर्व या उसमें उपस्थित होने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

3. जारी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने 13 जनवरी, 2021 के अपने परिपत्र के साथ 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) को पढ़कर, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) / ओएवीएम (अन्य ऑडियो विजुअल साधन) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने का विकल्प प्रदान कर रही है।

4. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह वार्षिक आम बैठक परिपत्र के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए इस वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

5. अधिनियम की धारा 103 के अनुसार वार्षिक आम

बैठक के लिए कोरम की गणना के प्रयोजनार्थ वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की गणना की जाएगी।

6. कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम सुविधा प्रदान करेगी। बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से तीस मिनट पहले खोली जाएगी और वार्षिक आम बैठक की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए रजिस्टरों और सूचना में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज वार्षिक आम बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज, इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cosecymcrl@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

8. जहां सदस्यों द्वारा मतदान की मांग की जाती है, वहां वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से उपस्थित सदस्य अपने वोट cosecymcrl@gmail.com पर भेजेंगे।

9. वार्षिक आम बैठक की सूचना और उपस्थिति पर्ची उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जाएगी जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत है, जब तक कि सदस्यों ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध नहीं किया हो। वार्षिक आम बैठक की सूचना और उपस्थिति पर्ची की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है।

10. जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा लें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते/ई-मेल आईडी में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरन्त कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दें।

12. किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य cosecymcrl@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं या नामित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। (संपर्क नंबर 9438877329)।

सदस्य:

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020. (ध्यान दें : कंपनी सचिव, एमसीएल)।

2. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017. (ध्यान दें: कंपनी सचिव, इरकॉन)।

3. ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, आईडीसीओ टॉवर, जनपथ, भुवनेश्वर - 22 (ध्यान दें: प्रबंध निदेशक, आईडीसीओ)

4. श्री एस.के. सिन्हा, महाप्रबंधक (सीएसआर), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020।

5. श्री ए.के.बी. सिंह, महाप्रबंधक (पी&पी), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020

6. श्री पी.के. मिश्रा, जीएम (एल एंड आर), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020।

7. श्री सुरेन्द्र सिंह, ईडी इरकॉन, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

लेखापरीक्षक:

1. मेसर्स मिश्रा बढ़ई एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बलांगीर, ओडिशा।

2. महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), ओल्ड निजाम प्लेस, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता - 700020।

3. मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, संबलपुर, ओडिशा।

सभी निदेशक, एमसीआरएल:

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, यह मेरा सौभाग्य और सम्मान है कि मैं आपकी कंपनी की 9वीं वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2023-24 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. संगठन:

ओडिशा राज्य में रेल गलियारा विकसित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) बनाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, इस प्रकार, 64:26:10 की इक्विटी भागीदारी अनुपात के साथ महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के नाम से एक अलग कंपनी बनाने का विचार किया गया, जिसे 31 अगस्त, 2015 को शामिल किया गया। इस तरह का उद्यम कोयला खदानों के सामने आने वाली रसद चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से प्रशासनिक सहायता, रेलवे से तकनीकी सहायता और एमसीएल से वाणिज्यिक समर्थन प्राप्त करके तालमेल बनाता है। इसकी संकल्पना रेल अवसंरचना में निवेश तथा रेल गलियारे से बाहर यातायात से उत्पन्न राजस्व को साझा करके एक सहभागी व्यवसाय मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखने के लिए की गई है।

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आईडीसीओ की इक्विटी हिस्सेदारी ओडिशा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के मूल्य के अनुरूप होगी या 10% जो भी अधिक हो। यदि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि का मूल्य इक्विटी के 10% से अधिक है, तो आईडीसीओ और एमसीएल की शेयरधारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित होगी। ओडिशा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि (राजस्व और वन भूमि) उपलब्ध कराएगी और ऐसी भूमि का मूल्य उसकी इक्विटी में समायोजित किया जाएगा। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रतिपूरक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सीमांकन, वनों की कटाई और वन योजना के डायवर्सन प्रस्ताव के लिए अन्य शुल्क की लागत एमसीआरएल द्वारा वहन की जाएगी। रेलवे परियोजनाओं पर विशेषज्ञता रखने वाली इरकॉन के माध्यम से प्रारंभिक गतिविधियां संचालित करने तथा दो चरणों में निर्माण कार्य करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। एमसीआरएल, परिसंपत्तियों के रियायत, संचालन और रखरखाव के लिए रेल मंत्रालय के साथ अलग-अलग समझौते करेगा।

एमसीआरएल परियोजना का संक्षिप्त विवरण।

अंगुल-बलराम-पुटुगाडिया-जरापाड़ा और एक चरण से तेंतुलोई (68 किमी) खंड को एमसीआरएल द्वारा 11.09.2015 को आयोजित अपनी पहली बोर्ड बैठक के दौरान अपनी पहली परियोजना के रूप में पहचान मिली। परियोजना में मुख्य रूप से 3 चरण शामिल हैं, (1) अंगुल-बलराम, (2) बलराम-पुटागडिया और (3) जरापाड़ा-पुटागडिया- तेंतुलोई । कॉरिडोर के अनगुल-बलराम हिस्से के लिए एमसीएल द्वारा भूमि पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है। बलराम-पुटागड़िया और जरापाड़ा-पुटागड़िया-तेनतुलोई खंडों के लिए भूमि का अधिग्रहण रेलवे अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किया जा रहा है, क्योंकि संपूर्ण परियोजना को विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया है।

2. कार्य निष्पादन की मुख्य विशेषताएं :

क. एमसीआरएल कार्यालय की स्थापना

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) ने कोयले की निकासी के लिए ओडिशा राज्य के तालचेर क्षेत्र में रेल कॉरिडोर के विकास के लिए प्लॉट संख्या ए/32, खारवेल नगर, सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर में 11 मंजिला ओएसएचबी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर अपना कार्यालय स्थापित किया है। कार्यालय दिनांक 01.02.2017 से उक्त पते पर कार्य कर रहा है

ख. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

अंगुल-बलराम-पुटागड़िया-जरापाड़ा और तेंतुलोई तक एक चरण (लगभग 68 किमी) की डीपीआर को रेलवे बोर्ड द्वारा 27.10.2017 को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। पूर्वी तट रेलवे द्वारा डीपीआर को अंतिम मंजूरी 31.01.2018 को दे दी गई है। पूर्वी तट रेलवे के सीओएम ने 60% की बढ़ी हुई माइलेज की मंजूरी और रेलवे परियोजना के रूप में मंजूरी के लिए 29.01.2018 को रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा। रेलवे से 60% की बढ़ी हुई माइलेज और विशेष रेलवे परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है। परियोजना की कुल लागत मुद्रास्फीति, परियोजना प्रबंधन और निर्माण के दौरान ब्याज सहित 1,700 करोड़ रुपये है।

ग. भूमि

व्यापक गलियारे के लिए रेलवे, सड़क और पानी की पाइप को समायोजित करने हेतु आईडीसीओ ने मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण योजना की शुरुआत की है। मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की भूमि आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ओडिशा सरकार ने मई, 2015 को 6(1) अधिसूचना प्रकाशित की है।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 21.03.2016 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केवल रेल लाइन तथा रख-रखाव/पहुंच मार्ग के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि को समायोजित करने के लिए भूमि की चौड़ाई कम की जाए। तदनुसार, नए सिरे से सर्वेक्षण किया गया है तथा संशोधित भूमि अनुसूची तैयार की गई है।

एमसीआरएल कॉरिडोर का पूरा संरेखण रणनीतिक रूप से मेसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की अधिसूचित भूमि सीमा के भीतर रखा गया है। अब चूंकि पूरी परियोजना को भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 4171 दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के तहत रेलवे विशेष परियोजना घोषित किया गया है, इसलिए भूमि अधिग्रहण रेलवे अधिनियम (आरएए-2008) के तहत किया जा रहा है।

भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 0709 दिनांक 14 फरवरी, 2020 के माध्यम से धारा 7(ए) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को नामित किया गया है। 20ए राजपत्र अधिसूचना ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर के माध्यम से 09.06.2022 को जारी की गई है। रेलवे अधिनियम (संशोधन) - 2008 के अंतर्गत 20ई राजपत्र अधिसूचना 23.05.2023 को प्रकाशित की गई है।

एमसीआरएल (68 किमी) की परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है; चरण- I (14 किमी) : अंगुल - बलराम खंड और चरण- II (54 किमी) : बलराम - पुटागड़िया - जरापाड़ा - तेंतुलोई खंड।

(i) चरण-I की भूमि अधिग्रहण स्थिति:-

भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और अंगुल-बलराम रेल संपर्क 14.11.2022 से चालू हो गया है।

(ii) पूर्वी तट रेलवे को सौंपने से पहले चरण-II की भूमि अधिग्रहण स्थिति:-

इसके समानांतर, इरकॉन ने चरण-II के लिए भूमि अधिग्रहण का पर्याप्त हिस्सा भी पूरा कर लिया है,

जो इस प्रकार है:-

क. किरायेदारी भूमि:-

रेलवे अधिनियम (संशोधन)-2008 के अंतर्गत 202.42 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

रेलवे अधिनियम (संशोधन) - 2008 के अंतर्गत 20A राजपत्र अधिसूचना 10.06.2022 को प्रकाशित की गई है।

रेलवे अधिनियम (संशोधन) - 2008 के अंतर्गत 20ई राजपत्र अधिसूचना 23.05.2023 को प्रकाशित की गई है।

भूमि के मुआवजे के निर्धारण से पूर्व धारा 20एफ (4) एवं (5) का समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक 21.06.2023 को किया गया है।

हालाँकि, इस परियोजना को पूर्वी तटी रेलवे ने अपने हाथ में ले लिया है।

ख. वन भूमि :-

125.355 हेक्टेयर (310 एकड़) वन भूमि के लिए अंतिम/चरण-II वन मंजूरी 22.02.2023 को प्राप्त हो गई है। ओएफडीसी द्वारा पेड़ों की कटाई से पहले पेड़ों की गणना का काम चल रहा है। हालाँकि, इस परियोजना को पूर्वी तट रेलवे ने अपने अधीन ले लिया है।

ग. सरकारी भूमि:-

कलेक्टर, अनगुल ने 27.01.2023 को ओडिशा सरकार को भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भेजा है। ओडिशा सरकार ने 01.02.2023 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और कलेक्टर, अनगुल को 42.10 हेक्टेयर भूमि के लिए भूमि हस्तांतरण और कार्य करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। हालाँकि, परियोजना को पूर्वी तट रेलवे ने अपने अधीन कर लिया है।

घ. चरण-I और चरण-II को पूर्वी तट रेलवे को हस्तांतरण:-

इस बीच, माननीय रेल मंत्री और माननीय कोयला मंत्री द्वारा 22.02.2023 को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रस्ताव रखा गया कि एसपीवी मोड में एमसीआरएल चरण- II को निर्माण के लिए रेलवे को सौंपने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी), एमसीएल ने पत्र संख्या एमसीएल/निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)/2023/219-(i)-ई दिनांक 29.03.2023 के माध्यम से जीएम/ईसीओआर से उपरोक्त बैठक के आधार पर चरण- II के कार्यान्वयन पर विचार करने का अनुरोध किया।

तदनुसार, जीएम/ईसीओआर ने रेलवे बोर्ड से डीओ पत्र संख्या सीएओ/कॉन/बीबीएस/पीएलजी./01 दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से एसपीवी से चरण- II के निर्माण के लिए परियोजना और चरण- I सहित परियोजना के संपूर्ण प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 2022/W-H/ECoR/DL/SY/21 (ई-फाइल संख्या 3432702) दिनांक 08.06.2023 के माध्यम से एमसीआरएल आंतरिक कॉरिडोर चरण II और चरण I के दोहरीकरण के लिए अंतिम सर्वेक्षण (एफएलएस) हेतु मंजूरी दे दी है।

दिनांक: 13.06.2023 को सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान, इस मुद्दे पर चर्चा की गई और इरकॉन को एमसीआरएल के चरण II का निर्माण, रेलवे को सौंपने के निर्णय के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा, ईडी/इन्फ्रा-I, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2015/इन्फ्रा/12/2 पं. दिनांक 12.07.2023 में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड (सीआरबी और सीईओ, एमआई एंड एमई) ने रेल मंत्रालय के वित्त पोषण के माध्यम से बलराम - पुटागड़िया - तेंतुलोई (54 किमी), एमसीआरएल चरण- II का निर्माण कार्य अपने हाथ में लेने की मंजूरी दे दी है।

पूर्वी तट रेलवे ने अपने पत्र संदर्भ संख्या सीई/कॉन/IV/बीबीएस/इनर कॉरिडोर/एमसीआरएल/स्पेशल दिनांक 13.07.2023 के माध्यम से अनुरोध किया है कि उपरोक्त कार्य से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज/ड्राइंग (सॉफ्ट कॉपी के साथ) पूर्वी तट रेलवे को सौंप दिए जाएं। इरकॉन ने अपने पत्र संख्या इरकॉन/2069/एमसीआरएल/रेलवे/02/184 दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से संबंधित दस्तावेज सौंप दिया है।

इसके अलावा, दिनांक:22.08.2023 को सीटीपीएम/पूतरे ने एमसीआरएल अधिकारियों के साथ एमसीआरएल चरण II को रेलवे द्वारा अपने अधीन लेने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान यह टिप्पणी की गई कि एमसीआरएल चरण- II को रेलवे द्वारा अपने अधीन लेने का निर्णय नीतिगत निर्णय के रूप में मंत्री स्तर पर लिया गया है। इस कार्य में न तो एमसीआरएल और न ही रेलवे ने कोई चूक की है। दिनांक 22.08.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन एमसीआरएल द्वारा दिनांक 07.09.2023 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार, यह प्रस्ताव किया गया कि एमसीआरएल द्वारा चरण-II के लिए किए गए लगभग 82.0 करोड़ रुपये के व्यय, जिसमें निवेश पर 12% प्रति वर्ष की दर से उचित रिटर्न शामिल है, की प्रतिपूर्ति रेलवे द्वारा चरण-II को अपने हाथ में लेने के लिए की जा सकती है, तथा इसके लिए पूर्व तटीय रेलवे और एमसीआरएल के बीच हस्ताक्षरित रियायत समझौते में निर्धारित सभी कानूनी नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा।

एमसीआरएल ने पत्र संख्या एमसीआरएल/बीबीएसआर/सीईओ/बलराम-पुटागड़िया-जरापड़ा-तेनतुलोई/ 2023-24/102 दिनांक 23.11.2023 के माध्यम से ईसीओआर, भुवनेश्वर से अनुरोध किया है कि एमसीआरएल बोर्ड ने 25.10.2023 को आयोजित अपनी 37वीं बोर्ड बैठक के दौरान चरण-II बलराम-पुटागड़िया-जरापड़ा-तेनतुलोई (54 किमी) को रेलवे द्वारा अपने अधीन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें रेलवे द्वारा एमसीआरएल को पूंजी निवेश के लिए परियोजना पर किए गए पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ वास्तविक वसूली तक उस पर 12% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि) की दर से गणना के अनुसार रिटर्न दिया जाएगा।

एमसीआरएल ने पत्र संख्या: एमसीआरएल/बीबीएसआर/सीईओ/पीएच-I अनगुल-बलराम/2023-24/103 दिनांक: 24.11.2023 के माध्यम से ईसीओआर के द्वारा रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया है कि वह पूर्ण हो चुकी अंगुल-बलराम एकल रेल लाइन (14 किमी) एमसीआरएल चरण-I परियोजना को रेलवे द्वारा अपने हाथ में लेने पर विचार करे।

पूर्व तटीय रेलवे ने पत्र संख्या: पीसीओएम/पीएलजी/बीबीएस/एमसीआरएल/अनगुल-जरापड़ा/535/पी.टी.I दिनांक: 16.01.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि रेलवे बोर्ड ने चरण-I एमसीआरएल परियोजना को अपने हाथ में लेने और रेलवे और एमसीआरएल के बीच हस्ताक्षरित रियायत समझौते को बंद करने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है।

इस संबंध में दिनांक 23.01.2024 को 16.00 बजे पीसीओएम के मीटिंग हॉल, ईसीओआर, भुवनेश्वर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा के बाद, एमसीआरएल ने एमसीआरएल के पत्र संख्या: एमसीआरएल/ बीबीएसआर/सीईओ/बलराम-पुटागाडिया-जरापड़ा-तेंतुलोई/2023-24/135 दिनांक: 13.02.2024 के माध्यम से एमसीआरएल चरण-I का कार्यभार संभालने के लिए ईसीओआर से अनुरोध किया है।

एमसीआरएल ने दिनांक 17.02.2024 के पत्र संख्या एमसीआरएल/बीबीएसआर/सीईओ/अंगुल-बलराम-पुटागड़िया-जरापाड़ा-तेनतुलोई/चरण-I और II/2023-24/137 के माध्यम से 23.01.2024 को आयोजित बैठक के दौरान चर्चा की गई आवश्यकताओं का अनुपालन भी किया है, जिसमें चरण-I और चरण-II कार्य के लिए किए गए/किए जाने वाले अनंतिम व्यय का विवरण, 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और दिसंबर 2023 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न किया गया है। विवरण के अनुसार, चरण-I की पूंजी लागत 345.45 करोड़ रुपये है, और चरण-II की 87.09 करोड़ रुपये है, कुल मिलाकर 432.54 करोड़ रुपये है और 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज राशि 108.79 करोड़ रुपये है।

यह समझा गया कि पूर्व तटीय रेलवे एमसीआरएल चरण-I और चरण-II के अधिग्रहण के लिए लागत की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय आंकड़े प्राप्त करने हेतु एक समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसे रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

ङ. चरण-I परियोजना का रखरखाव:-

एमसीआरएल ने इरकॉन के माध्यम से 14.11.2023 को कमीशन की तारीख से 29.02.2024 तक चरण I का रखरखाव किया।

इसके अलावा, 38वें एमसीआरएल बीओडी मद संख्या 38.5 में लिए गए निर्णय के आधार पर एमसीआरएल के दिनांक 12.12.2023 के अनुरोध पत्र के अनुसार दिनांक. 01.03.2024 से अनगुल-बलराम एमसीआरएल परियोजना चरण- I का रखरखाव भी ईसीओआर द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। इसके अलावा, इरकॉन ने अतिरिक्त/अतिरिक्त पी.वे सामग्री सहित ट्रैक को भौतिक रूप से पूतरे को सौंप दिया है।

च. राजस्व आबंटन की स्थिति:-

नवंबर 2022 से फरवरी 2023 के महीने के लिए 3,30,65,367/- रुपये का पहला उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक. 07.12.2023 को प्राप्त हुआ और मार्च 2023 और अप्रैल 2023 के महीने के लिए 1, 86, 97,028/- रुपये का दूसरा उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक.02.02.2024 को प्राप्त हुआ।

पत्र संख्या एमसीआरएल/बीबीएसआर/सीईओ/उपयोगकर्ता शुल्क/2023-24/154 दिनांक 25.03.2024 के माध्यम से लंबित राजस्व आबंटन को मंजूरी देने के लिए ईसीओआर से अनुरोध किया गया है।

मई 2023 और जून 2023 के महीने के लिए 2,07,94,918/- रुपये का तीसरा उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक. 25.03.2024 को प्राप्त हुआ।

दिनांक. 14.11.2022 से 31 मार्च 2024 तक ईसीओआर से प्राप्त संचयी राजस्व आवंटन रुपये 7,25,57,313 है, जिसमें से रुपये 7,24,00,000 सावधि जमा में रखे गए हैं।

3. पूंजी संरचना:

कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी 100,00,00,000/- रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) है, जो 10 रुपये प्रति शेयर के 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है। दिनांक: 31.03.2024 तक कंपनी की चुकता पूंजी 90,00,50,000/- रुपये है।

प्रवर्तक कम्पनियों की इक्विटी शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:

क्र.	**प्रमोटर कंपनी का नाम**	**31.03.2024 तक शेयरधारिता पैटर्न**	**31.03.2023 तक शेयरधारिता पैटर्न**
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	71.107%	71.107%
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	28.887%	28.887%
3	ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	0.006%	0.006%
	कुल	100%	100%

4. वित्तीय परिणाम:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं:

विवरण	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए लाख में)**
वर्ष के लिए आय	2202.90
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय को छोड़कर वर्ष के लिए व्यय।	1160.70
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय से पहले लाभ या हानि।	1042.20
घटाव: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय।	1200.31
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के बाद लेकिन कर से पहले लाभ या हानि	(158.11)
घटाव: चालू कर	0.00
कर के बाद लाभ या हानि	(158.11)

परियोजना के चरण-1 को रेलवे द्वारा दिनांक: 21.08.2023 को व्यावसायिक रूप से अधिसूचित किया गया है और राजस्व साझाकरण सितंबर 2023 से शुरू हुआ (नवंबर, 2022 से अर्जित), चरण-1 से संबंधित व्यय को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया गया है। परियोजना के चरण-2 की परिचालन गतिविधियां अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। इसलिए, कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परियोजना के चरण-2 के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, को पूंजीकृत कर दिया गया है और अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों को "लाभ और हानि विवरण" में शामिल कर दिया गया है। कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इरकॉन से 29250 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण लिया है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 की शर्तों तथा सुसंगत अधिनियम के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए और लागू होने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत भारत में स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्त (इंडियन जी.ए.ए.पी.) के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक, को यदि प्रारंभ में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो, तो लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा सभी नवीनतम आधार पर जारी किए गए या संशोधित लेखा मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी के स्टैंडअलोन लेखा परीक्षाओं के वित्तीय परिणाम का खुलासा तिमाही औऱ वार्षिक आधार पर किया जाता है।

5. लाभांश:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

6. आरक्षित निधियाँ:

कंपनी ने रिज़र्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की।

7. राजकोष में योगदान: शून्य

8. सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियां:

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की सहायक कंपनी है और इसकी कोई सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

9. जमा:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत परिभाषित वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है

10. जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और उसके नियंत्रण को उचित महत्व दिया जाता है, क्योंकि अंतर्निहित जोखिम के कारण, बाह्य और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं। प्रबंधन सभी महत्वपूर्ण कारकों पर निरंतर निगरानी रखता है।

11. संबंधित पक्ष लेनदेन:

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन निष्पक्ष आधार पर तथा व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया गया है, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो।

12. ऋण गारंटी या निवेश का विवरण:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) और (11) के अनुसार वित्तीय विवरणों में किए गए निवेश, दिए गए ऋण या दी गई गारंटी या प्रदान की गई सुरक्षा के पूर्ण विवरण का खुलासा करना आवश्यक है और जिस उद्देश्य के लिए ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग ऋण या गारंटी के प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, उसका खुलासा किया जाता है।

13. सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति:

एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी की गतिविधियाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता केंद्रीय जाँच ब्यूरो आदि के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली होती हैं।

14. लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, निम्नलिखित ऑडिट फर्म को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है:

मेसर्स मिश्रा बढ़ाई एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, संबलपुर, ओडिशा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के तहत, वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित फर्म को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था: -

मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, बिल्डिंग नंबर एफ/3, सहयोग नगर, बुढ़ारजा, संबलपुर, ओडिशा-768004।

15. निदेशक मंडल:

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल में 07 (सात) सदस्य हैं, अर्थात एमसीएल के नामित अध्यक्ष और 02 (दो) निदेशक, इरकॉन के नामित 02 (दो) निदेशक, आईडीसीओ के नामित 01 (एक) निदेशक और रेल मंत्रालय के नामित 01 (एक) निदेशक।

31.03.2024 तक निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

क्र.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री केशव राव	अध्यक्ष	01.11.2023
2.	श्री ए.के बेहुरा	निदेशक	01.11.2023
4.	श्री एस के सिन्हा	निदेशक	21.07.2023
5.	श्री रागनी आडवाणी	निदेशक	26.05.2022
6.	श्री पराग वर्मा	निदेशक	21.07.2023
7.	श्री एस के सेठी	निदेशक	01.11.2023
8.	श्री पी आर पाढी	निदेशक	09.05.2022

16. बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की पांच (05) बैठकें दिनांक: 19.04.2023, 21.07.2023, 25.10.2023, 28.11.2023 और 16.01.2024 को हुई । वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.	निदेशकों का नाम	श्रेणी	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1	श्री केशव राव	गैर-कार्यकारी निदेशक	5	5
2	श्री ए के बेहुरा	गैर-कार्यकारी निदेशक	2	2
3	श्री ओ पी सिंह	गैर-कार्यकारी निदेशक	3	3
4	श्री एस के सिन्हा	गैर-कार्यकारी निदेशक	4	3
5	श्री रागनी आडवाणी	गैर-कार्यकारी निदेशक	5	5
6	श्री पराग वर्मा	गैर-कार्यकारी निदेशक	4	2
7	श्री एस के सेठी	गैर-कार्यकारी निदेशक	2	2
8	श्री पी.आर पाढी	गैर-कार्यकारी निदेशक	5	4
9	श्री के.के रावल	गैर-कार्यकारी निदेशक	1	0
10	श्री एम मल्लिक	गैर-कार्यकारी निदेशक	3	2
11	श्री सुरेंदर सिन्हा	गैर-कार्यकारी निदेशक	1	1

17. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (3) के अनुसार जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

18. कर्मचारी पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत सूचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार दी गई सूचना आपकी कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि कंपनी में कोई भी कर्मचारी 5,00,000/- रुपए प्रतिमाह या 60,00,000 रुपए प्रतिवर्ष या प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक द्वारा प्राप्त राशि से अधिक नहीं प्राप्त कर रहा है तथा वह स्वयं या अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के

साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का कम से कम दो प्रतिशत हिस्सा रखता है।

19. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है कि:-

1. दिनांक.31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है (लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियों को छोड़कर) साथ ही भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

3. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

4. निदेशकों ने दिनांक. 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को 'गोइंग कंसर्न' आधार पर तैयार किया है।

5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ये प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

20. बैंकर का नाम और पता:

क्र.	नाम	शाखा पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर।
2	आईसीआईसीआई बैंक सचिवालय मार्ग, बर्मा नगर, यूनिट-4, भुवनेश्वर - 751001	
3	एक्सिस बैंक बुधराजा, संबलपुर	

21. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाः

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न हैं।

22. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां और उनसे संबंधित प्रासंगिक टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट संलग्न है।

23. वार्षिक प्रतिफल का सार:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार वार्षिक प्रतिफल (फॉर्म संख्या एमजीटी-7) एमसीएल की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड किया गया है: http://www.mahanadicoal.in/Financial/anual_report.php

24. अभिस्वीकृति:

आपके निदेशक, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ओडिशा सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम से प्राप्त सहयोग, बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए गहरी सराहना करते हैं। आपके निदेशकगण, जिला प्रशासन तथा उन सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने रेल कॉरिडोर के विकास के लिए समय-समय पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान किया है।

आपके निदेशकगण सभी शेयरधारकों को उनके निरंतर सहयोग तथा प्रबंधन पर विश्वास बनाए रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद तथा शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण अब तक की प्रगति तथा वास्तविकता के करीब

पहुंचने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों और सहयोगियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

आपके निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला) तथा कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

25. परिशिष्ट:

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

1. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में जानकारी (अनुलग्नक-I)।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, (अनुलग्नक-II)।
3. सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक-III)।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी, (अनुलग्नक-IV)।

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष

स्थान : सम्बलपुर
दिनांक : 12/07/2024

अनुलग्नक-I

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के तहत सूचना, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित तथा निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।)

क. ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव: शून्य

(ii) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम: शून्य

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश: शून्य

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण-

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास: शून्य

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ: शून्य

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) - : शून्य

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: शून्य

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय -

कंपनी का गठन 31 अगस्त, 2015 को हुआ है और विदेशी मुद्रा आय या व्यय के संबंध में कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

(रु लाख में)

(रु लाख में)

विवरण	2023-24
कुल प्राप्त विदेशी मुद्रा (निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य)	
कुल प्रयुक्त विदेशी मुद्रा:	
i) कच्चा माल	-
ii) उपभोज्य भंडार	-
iii) पूंजीगत सामान	-
iv) विदेश यात्रा	-
v) अन्य	-

अनुलग्नक-II

सेवा में
सदस्यगण
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की संशोधित रिपोर्ट

मत

हमने महानदी कोल रेल्वे लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं (एतत्पश्चात "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत, हमारी मत में, हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, आवश्यक वित्तीय विवरणों की जानकारी को सत्य और निष्पक्ष रूप में देते हैं तथा 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और इसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा किया है। हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वों में उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम यह मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। नीचे प्रत्येक मामले के लिए, उस संदर्भ में हमारे लेखापरीक्षा ने किस प्रकार मामले को संबोधित किया, इसका विवरण दिया गया है।

हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है। हमने अपनी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है, जिसमंर इन मामलों से संबंधित जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। तदनुसार, हमारे लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों के हमारे आकलन का जवाब देने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाओं का कार्य निष्पादन शामिल था। नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाओं सहित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, साथ में दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करते हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारे प्रमुख लेखापरीक्षण मामलों को कैसे संबोधित लेखापरीक्षण
राजस्व मान्यता कंपनी द्वारा पूर्ण किए गए रेलवे ट्रैक पर रैक की आवाजाही नवंबर 2022 से शुरू की गई थी, जिसके लिए अगस्त, 2023 के दौरान गजट अधिसूचना जारी की गई थी। इसलिए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोगकर्ता शुल्क से कोई आय मान्यता नहीं दी है। उक्त अवधि के लिए राजस्व का लेखा-जोखा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2023-24 में किया गया था। राजस्व को औसत दर के आधार पर मान्यता दी गई थी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने अभी तक वास्तविक गणना प्रस्तुत नहीं की है। शुरू की गई रेलवे लाइन पर रैक की आवाजाही पर भारतीय रेलवे द्वारा एकत्र किए गए माल को भारतीय रेलवे और कंपनी के बीच 50:50 की दर से साझा किया जाता है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ईस्ट कोस्ट रेलवे से उपयोगकर्ता शुल्क (000510) शीर्षक के अंतर्गत ₹ 20,93,07,820/- की आय की गणना की है। मॉडल रियायत समझौते के खंड 23.2.1 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क में सभी कर और शुल्क शामिल हैं और रियायतग्राही (यहां कंपनी) लागू कानूनों के अनुसार सभी कर और शुल्क का भुगतान करेगी। रेल मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 2017/Infra/18/2 दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा था कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से भारतीय रेलवे जीएसटी सहित विभाजित राजस्व को एसपीवी को हस्तांतरित करेगी। 2023-24 से पहले की अवधि के लिए मामला अभी भी वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है। कंपनी ने इस संबंध में भारतीय रेलवे पर कोई जीएसटी चालान नहीं बनाया है।	हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल है: • राजस्व मान्यता के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीतियों को पढ़ें। • इन नियंत्रणों के कार्य निष्पादन के साक्ष्य के निरीक्षण के माध्यम से राजस्व मान्यता पर नियंत्रण का परीक्षण करना; • मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित करना जिनमें शामिल हैं: • भारतीय रेलवे के साथ निष्पादित मॉडल रियायत समझौते को पढ़ें, और कंपनी के अधिकार के बारे में प्रबंधन के आकलन को समझने के लिए प्रासंगिक धाराओं का मूल्यांकन करें। • प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय पढ़ें; • प्राप्त जीएसटी प्रयोज्यता पत्र के संबंध में कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रभाव का आकलन करना, तथा जीएसटी की छूट के संबंध में चल रही चर्चा के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व का आकलन करना।

इस पर वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक के साथ साथ बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी भी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा

करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण विवरण ग़लत है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में संबंधित मामलों के निपटान के लिए कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे,जो वित्तीय विवरणो की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कथन का सही और निष्पक्षता देते हैं। कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) के तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े जाते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाये रखें, जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने व बनाए रखे, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करते है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराते हो औऱ जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्या कथन से मुक्त हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, तथा जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का या इसके संचालन को रोकने के लिए, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न होने पर चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करती है तथा चालू समुत्थान से संबंधित मामले को आवश्यकता अनुसार प्रकट करती है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानक के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा गलत विवरण का पता लगायेगी। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और यह माना जाता है कि व्यक्तिगत या पूर्ण रुप से यह इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

अंकेक्षण मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम वृत्तिक निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखापरीक्षा के दौरान वृत्तिक लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद को बनाए रखते हैं। साथ ही :

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते है, चाहे यह धोखेबाजी या त्रुटि के कारण ही क्यो न हुआ हो। साथ ही उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादित करते है और लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते है जो हमारे राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित होते है। धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिक है,क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की, समझ प्राप्त करते है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इसपर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस तरह के नियंत्रणों का संचालन की प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते है।
- लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का प्रबंधन द्वारा इसकी उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित क्या ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है, जो एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। फिर भी यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू समुत्थान के रुप में बने रहने में कठिनाई भी हो सकती है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का घोषणा सहित मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन विधि के लोगों को अपने वक्तव्य द्वारा आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जोसंबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है। शासन विधि के लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे और यह प्रमुख लेखापरीक्षा मामले से संबंधित होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रतिवेदन में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी जो सार्वजनिक हितलाभ से अतिभारित होगा।

हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए वित्तीय विवरणों पर संबलपुर में दिनांक 15.04.2024 (मूल रिपोर्ट) की एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार, हमने उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट मूल रिपोर्ट का स्थान लेती है जिसे मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के संशोधन के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। मूल रिपोर्ट की तिथि के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया केवल इस पैराग्राफ में उल्लिखित मद में किए गए संशोधन तक ही सीमित है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदनः

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के उप खंड(11) के संबंध में, हम "अनुलग्नक- 1" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर "अनुलग्नक-2" में दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है, के तहत हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, वांछित रिपोर्ट इस प्रकार हैः
   i. हमने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरुरी तथा भरोसेमंद थे।
   ii. हमारी राय में, अब तक के उन बहीयों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त

भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में विधि द्वारा आवश्यक उचित लेखा बहीयों को कंपनी ने रखा है।

iii. इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुरक्षित प्रासंगिक लेखा बहियों के साथ अनुबंध में है।

iv. हमारे मत में, उपरोक्तत भारतीय लेखांकन मानक केवित्तीकय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसेकंपनी (लेखा) नियम,2014 केनियम7 के साथपढ़ाजाए।

v. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

vii. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

a. जैसाकि हमें बताया गया है कि कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

b. जैसाकि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी तरह के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

c. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि को निधि में अंतरित करने में विलंब नहीं होती है।

d. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की घोषणा की है ।

e. जैसा कि कंपनी द्वारा हमें जानकारी दी है, कंपनी के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसमें भौतिक पूर्वानुमानित हानि हो, इसलिए कंपनी ने ऐसी हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

(iv) (a) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के खातों की टिप्पणियों,यदि कोई हो, में किए गए वर्णन के अलावा कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धन राशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से चिन्हित किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान नहीं की गई है ।

(b) प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के लेखा खातों की टिपनियों,यदि कोई हो, में वर्णन के अलावा शाखा द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से

कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से चिन्हित किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान नहीं करेगी।

(c) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और जैसा कि उप-खण्ड (iv)(a) और (iv)(b) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

(v) कंपनी ने इस अवधि के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है। अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (1) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनी अधिसूचना संख्या GSR463(E), दिनांक 5 जून 2015 पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) कंपनी की खाता बहियों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) की सुविधा भी है।

स्थान :संबलपुर
दिनांक: 04/06/2024
UDIN: 24054940BKAJZZ7571

कृते मिश्रा बढ़ाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
FRN:320053E

ह/-

[एस. के. बढ़ाई]
साझेदार
M. No. 054940

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसार महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्यक वैधानिक और नियामक आवश्यीकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि-

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

a) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मात्रात्मक विवरण और स्थिति एवं संपत्ति के उपयोग के अधिकार की प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

b) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा संपत्ति के उपयोग के अधिकार का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई एवं हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है।

c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई शीर्षक विलेख नहीं है।

d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च 2023 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii)

a) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

b) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों में निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, जिसके संबंध में:

a) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी अन्य संस्था को ऋण या स्थायी गारंटी के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

b) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और ऋण अनुदान की शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

c) स्वीकृत ऋणों के संबंध में, मूलधन की अदायगी और ब्याज के चुकौती की समय-सारणी निर्धारित की गई है और मूलधन का भुगतान और ब्याज की प्राप्तियां आमतौर पर नियमानुसार नियमित होती हैं।

d) कंपनी द्वारा स्वीकृत ऋणों के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

e) कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण जो वर्ष के दौरान देय हो गया है या एक ही पार्टी को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए दिए गए विस्तारित या नए ऋण का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

f) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए खंड 3(iii)(f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कंपनी ने कंपनियों, फर्मों सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम राशि नहीं दी है।

iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में :

a) हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशियों जो उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उस पर लागू होते हैं, को जमा करने में नियमित रही है।

माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में 31 मार्च, 2024 को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है।

b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

(viii) पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

(ix)

a) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

b) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

c) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

e) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के

दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

f) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x)

a) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

b) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi)

a) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

b) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई भी रिपोर्ट कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान और उससे पहले तक दाखिल नहीं की गई है।

c) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii) कंपनी, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन करने वाली कंपनी होने के नाते भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुच्छेद 26 के तहत आवश्यक विशिष्ट विवरणों का खुलासा किया है।

xiv)

a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है;

b) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैरा 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और कंपनी द्वारा किए गए पूर्व-संचालन खर्चों के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix) वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलन पत्र की तिथि में मौजूद अपनी देनदारियों को

पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियां गिरावट के कारण कंपनी द्वारा खारिज कर दी गई हैं।

xx) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

स्थान: संबलपुर
स्थान : 04/06/2024
UDIN: 24054940BKAJZZ7571

कृते मिश्रा बढ़ाई एण्ड एसोसिट्स
सनदी लेखाकार
FRN:320053E

ह/-

[एस. के. बढ़ाई]
साझेदार
M. No. 054940

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - 2

वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशानिर्देश और अतिरिक्त निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

क्र.	विवरण	लेखा परीक्षकों का जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, वर्णित किया जाए।	कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। इसने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने खातों को बनाए रखा है। इस सॉफ्टवेयर में कोई मेकर और चेकर अवधारणा नहीं है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण /बट्टे खाते में ऋण/ऋण/ ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा कोई पुनर्गठन/ छूट/बट्टे खाते में ऋण/उधार/ ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।

स्थान : संबलपुर
दिनांक: 04/06/2024
UDIN: 24054940BKAJZZ7571

कृते मिश्रा बढ़ाई एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार
FRN:320053E

ह/-

[एस. के. बढ़ाई]
साझेदार
M. No. 054940

स्वतंत्र लेखापरीक्षको की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-3

कंपनी अधिनियम,2013("अधिनियम") की धारा 143 के उप-खण्ड 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

31 मार्च, 2024 कंपनी के रूप में महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करनाकंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम,2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना,अपनी संपत्ति की सुरक्षा,धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तिय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किये गये लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौज़ूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिंम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारे लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त औऱ उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएं (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करते है तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुसार कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय किया जा रहा है। (3) अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोगव कंपनी की संपत्ति जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभाव हो सकता है,का समय पर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं -

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से,नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित,त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ हीभविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता हैं।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च, 2024 के अनुसार ऐसे वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 04/06/2024
UDIN: 24054940BKAJZZ7571

कृते मिश्रा बढ़ाई एण्ड एसोसियट्स सनद
सनदी लेखाकार
FRN:320053E

ह/-

[एस.के. बढ़ाई]
साझेदार
M. No. 054940

अनुलग्नक - III

फॉर्म नं एमआर-3
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में
सदस्यगण
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
पोस्ट - जागृति विहार, बुर्ला
संबलपुर, ओड़िशा - 768020
भारत

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एतत्पश्चात इसे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा निगमित प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया। सचिवीय लेखा परीक्षण इस तरीके से किया गया था जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु उचित आधार मिला।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी उसके अधिकारियों, द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणों और अन्य रिकॉर्ड की जाँच के आधार पर हम एद्त द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखा परीक्षण अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा और विषय के अनुसार उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

1. हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जॉच निम्न प्रावधानों के अनुसार की:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके तहत बनाये गए नियम।

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम, निर्दिष्ट अनुभागों की सीमा तक अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए ;

(iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाये गए नियम ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और अधिनियम के अधीन बने नियम और उपनियम ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बने नियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(vi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के तहत निर्धारित अधिनियम व दिशा निर्देश ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(vii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) अधिनियम, 2011 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंध) विनियमन, 1992 - ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(ix) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) विनियमन, 2009; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(x) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना व कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण व जारीकरण) विनियमन ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xii) कंपनी अधिनियम व पक्षकारों के साथ निपटान

संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक) विनियमन, 1993 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xiii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियमन 2009 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xiv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति का बायबैक) विनियमन 1998 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

2. हमने कंपनी पर लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी पर लागू प्रमुख अधिनियमों, कानूनों और विनियमों की सूची निम्नानुसार है:

क. फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 ;

ख. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

ग. ट्रेड यूनियनों, प्रशिक्षुओं, औद्योगिक रोजगार, मोटर परिवहन कामगारों आदि से संबंधित औद्योगिक कानून।

घ. खनन गतिविधियों से संबंधित निर्धारित अधिनियम;

ङ. वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, ईएसआईसी, मुआवजा, मातृत्व लाभ, श्रम कल्याण, आदि से संबंधित कंपनी द्वारा कंपनी के पेरोल पर या अनुबंध के आधार पर नियुक्त श्रमिक और कर्मचारियों से संबंधित श्रम कानून और अन्य प्रासंगिक कानून ;

च. पर्यावरण एवं संरक्षण के अंतर्गत निर्धारित अधिनियम;

छ. अनुबंधों, स्टैम्पों, प्रतियोगिताओं आदि से संबंधित व्यावसायिक कानून ;

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची के मुद्दों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को कार्यवृत के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं हैं।

कृते सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस सुशांत प्रधान
मोबाइल नं: 29239
सीपी नं : 14238
यूडीआईएन: A029239E000507288

स्थान : संबलपुर
दिनांक: 12.07.2024

इस रिपोर्ट को हमारे घटना तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक-A के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक- A

सेवा में
सदस्यगण
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
पोस्ट ऑफिस - जागृति विहार, बुर्ला
संबलपुर, ओड़िशा - 768020
भारत

इस पत्र के साथ घटना तिथि की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखाबही की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6. सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस सुशांत प्रधान
मोबिल नं: 29239
सीपी नं : 14238

स्थान : संबलपुर
दिनांक: 12.07.2024
यूडीआईएन: A029239E000507288

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक स्वतंत्र आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। कहा जाता है कि यह उनके द्वारा 04 जून 2024 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो उनकी 15 अप्रैल 2024 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेती है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षा किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है। पूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखा परीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट को वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

A. लाभप्रदता पर टिप्पणी

A.1 लाभ और हानि का विवरण

अन्य परिचालन राजस्व (नोट 12.1): रु. 2093.08 लाख

उपरोक्त में नवंबर 2022 से जून 2023 की अवधि के लिए उपयोगकर्ता शुल्क पर जीएसटी के रूप में 210.14 लाख रुपये शामिल हैं, जिसे महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) द्वारा ईस्ट कोस्ट रेलवे से प्राप्त होने वाले शुल्क के रूप में दर्ज किया गया है। रेल मंत्रालय (ईसीओआर. एमओआर) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर इंड एएस 115 के पैराग्राफ 47 में, अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि लेनदेन मूल्य विचार की वह राशि है जिसे तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर (उदाहरण के लिए, कुछ बिक्री कर) एक इकाई ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

हालांकि, एमसीआरएल ने उपयोगकर्ता शुल्क पर जीएसटी के लिए 210.14 लाख रुपये की राशि दर्ज की थी, इस तथ्य के बावजूद कि पूर्व तट रेलवे पर कोई जीएसटी चालान नहीं बनाया गया था, जो कि भारतीय मानक लेखांकन 115 के पैराग्राफ 47 का उल्लंघन था। इसके अलावा, एमसीआरएल ने समतुल्य राशि के लिए देय जीएसटी के लिए कोई देयता दर्ज नहीं की है।

उपयोगकर्ता शुल्क पर जीएसटी को बिना किसी उचित देयता के राजस्व के रूप में गलत तरीके से दर्ज करने के परिणामस्वरूप अन्य परिचालन राजस्व को 210.14 लाख रुपये से अधिक दर्शाया गया है, जबकि अन्य चालू देयताओं को 210.14 लाख रुपये से कम दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान हानि को भी उपरोक्त सीमा तक कम करके दिखाया गया।

B. प्रकटीकरण पर टिप्पणी

B.1 सामग्री लेखांकन नीति

राजस्व मान्यता (नोट 2.3)

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) की राजस्व मान्यता पर सामग्री लेखा नीति संख्या 2.3, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताती है कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस परिणाम को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय परिणाम का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करते हुए, और राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ यह अत्यधिक संभावित है

कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा।

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर भारतीय मानक लेखांकन 115 का पैराग्राफ 57 बताता है कि परिणाम की राशि इकाई के प्रभाव से बाहर के कारकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, और अनुबंध में संभावित परिणाम राशियों की एक बड़ी संख्या और व्यापक सीमा होती है, जो निवारक कारक हैं जो राजस्व उलटफेर की संभावना या परिमाण को बढ़ा सकते हैं। भारतीय मानक लेखांकन 115 का पैराग्राफ 110 बताता है कि ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता को समझने के लिए इकाई द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरण आवश्यक है।

एमसीआरएल ने पूर्व तट रेलवे (ईसीओआर) के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता (02 दिसंबर 2021) किया, जिसके तहत ईस्ट कोस्ट रेलवे को 30 वर्षों की अवधि के लिए अंगुल-बलराम-पुटागड़िया-जरापाड़ा-तेनतुलोई स्टेशनों को कवर करते हुए 68 किलोमीटर रेल प्रणाली मार्ग के निर्माण, संचालन और रखरखाव का विशेष अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकार प्रदान किया गया, जिसके बदले में रेल प्रणाली के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन नियमों के अनुसार निर्धारित रेल प्रणाली के माल संचालन से राजस्व विभाजन के 50 प्रतिशत के बराबर राशि प्राप्त होगी। तदनुसार, एमसीआरएल ने वर्ष 2023-24 में उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में कुल 2093.08 लाख रुपये का राजस्व दर्ज किया, जिसमें से रु. 725.57 लाख (नवंबर 2022 से जून 2023 तक) वास्तव में वर्ष के दौरान पूर्व तट रेलवे से प्राप्त हुए। हालांकि, कुल राजस्व में रेक की संख्या और पिछले महीनों के औसत उपयोगकर्ता शुल्क के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क (जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक) के लिए रु. 1157.37 लाख भी शामिल थे, हालांकि पूर्व तट रेलवे से कोई पुष्टि नहीं मिली।

संयुक्त उद्यम समझौते का सार, जिसमें "अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन नियम" के अनुसार राजस्व के निर्धारण का उल्लेख है, भारतीय मानक लेखांकन 115 के पैरा 57 के प्रावधानों को आकर्षित करता है, जिसे आईसीएपी की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के पैरा 16 द्वारा आगे बढ़ाया गया है। हालांकि, न तो भौतिक लेखांकन नीति संख्या 2.3 और न ही नोट 12.1: परिचालन से राजस्व के नीचे किसी व्याख्यात्मक नोट में उल्लेख किया गया है कि क्या राजस्व अनुमान अंतिम रूप से तैयार किए गए "अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन नियमों" या वास्तविक राजस्व प्राप्ति पर आधारित था, जो हर साल अलग-अलग हो सकता है। इसके अलावा, नोट 12.1 के तहत दर्ज की गई प्राप्त राशि और एमसीआरएल द्वारा अनुमानित राशि को निर्दिष्ट नहीं करती है। उपरोक्त तथ्यों का खुलासा न करने से भारतीय मानक लेखांकन 115 के पैराग्राफ 110 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। संयोग से, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की एक अनुषंगी कंपनी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) स्व-निर्णय और अनुमानों पर भरोसा करने के बजाय एक स्थापित तंत्र (फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम तक अनुकूलित पहुंच) के आधार पर रेलवे से राजस्व आवंटन को मान्यता देती है ।

इस प्रकार, नोट 12.1 के साथ पठित सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.3 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

1 दिसंबर 2023 में रु. 3065 लाख, फरवरी 2024 में रु.186.97 लाख और मार्च 2024 में रु.207.95 लाख.

2 10/12/2012 को रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा प्रसारित राजस्व साझाकरण मॉडल के तहत राजस्व के निर्धारण के लिए एकमात्र कारक के रूप में माना जाता है।

3 एलएसी के आधार पर, आईसीएआई की राय में, रेलवे कॉरिडोर को अमूर्त संपत्ति माना जाता है। पैराग्राफ 16 में कहा गया है कि कंपनी का नकदी प्रवाह प्रणाली की प्रवृत्ति पर निर्भर है और अनुदानकर्ता न तो ऑपरेटर (कंपनी) को निर्दिष्ट या निर्धारित राशि का भुगतान करने की गारंटी देता है, न ही सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से प्राप्त राशि और निर्दिष्ट या निर्धारित राशि के बीच किसी कमी की गारंटी देता है और इसलिए, कंपनी को नकदी या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

कृते और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
ह/-

(बिभुदत्त बसंतिया)
महानिदेशक लेखापरीक्षा(कोयला)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 09 जुलाई, 2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
	A. लाभप्रदता पर टिप्पणी A.1 <u>लाभ और हानि का विवरण</u> अन्य परिचालन राजस्व (नोट 12.1) ₹2093.08 लाख अवधि के लिए लाभ: ₹(-) 158.11 लाख उपरोक्त में महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) द्वारा पूर्वी तट रेलवे, रेल मंत्रालय (ईसीओआर, एमओआर) से प्राप्य के रूप में नवंबर 2022 से जून 2023 तक की अवधि के लिए उपयोगकर्ता शुल्क पर जीएसटी के लिए रु. 210.14 लाख शामिल हैं। ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर भारतीय मानक लेखांकन 115 के पैराग्राफ 47 में अन्य बातों के साथ-साथ, उल्लेख किया गया है कि लेनदेन मूल्य, परिणाम की वह राशि है, जिसे कोई संस्था किसी ग्राहक को वादा किए गए माल या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में पाने की उम्मीद करती है, जिसमें तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र की गई राशियां (उदाहरण के लिए, कुछ बिक्री कर) शामिल नहीं हैं।	02 दिसंबर 2021 को एमसीआरएल और एमओआर क्लॉज नंबर-23 के बीच हुए रियायत समझौते में निम्नलिखित प्रमुख नियम और शर्तें शामिल हैं: रेलवे रियायतग्राही (एमसीआरएल) को रेल प्रणाली पर माल परिचालन से प्राप्त राजस्व के 50% के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जो अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जो रेल प्रणाली का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में निर्धारित है । पार्टियों द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि उपयोगकर्ता शुल्क में सभी कर और शुल्क शामिल होंगे..... रियायती समझौते के समय उपयोगकर्ता शुल्क जीएसटी के दायरे से बाहर था। वित्त मंत्रालय ने 10.06.2022 को भारतीय रेलवे द्वारा एसपीवी को आवंटित राजस्व की कर योग्यता और भारतीय रेलवे द्वारा एसपीवी से ली जाने वाली ओएंडएम लागत के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के अनुरोध पर, तदनुसार इस मुद्दे को 17 दिसंबर, 2022 को आयोजित 48वीं जीएसटी परिषद की बैठक के समक्ष रखा और परिषद ने स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे और एसपीवी अलग-अलग इकाई हैं। राजस्व के आनुपातिक हिस्से के रूप में विचार के बदले रियायत अवधि के दौरान भारतीय रेलवे को उनके द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देने के माध्यम से भारतीय रेलवे को सेवा की आपूर्ति एक कर योग्य आपूर्ति है।

हालाँकि, एमसीआरएल ने उपयोगकर्ता शुल्क पर जीएसटी के लिए रु. 210.14 लाख की राशि दर्ज की थी, इस तथ्य के बावजूद कि पूर्व तट रेलवे पर कोई जीएसटी चालान नहीं बनाया गया है, जो कि भारतीय मानक लेखांकन 115 के पैराग्राफ 47 का उल्लंघन है। इसके अलावा, एमसीआरएल ने समतुल्य राशि के लिए देय जीएसटी के लिए कोई देयता दर्ज नहीं की है।

उपयोगकर्ता शुल्क पर जीएसटी को बिना किसी उचित देयता के राजस्व के रूप में गलत तरीके से दर्ज करने के परिणामस्वरूप अन्य परिचालन राजस्व को ₹210.14 लाख तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, जबकि अन्य चालू देयताओं को ₹210.14 लाख तक कम करके दिखाया गया है। वर्ष के लिए नुकसान को भी उपरोक्त सीमा तक कम करके दिखाया गया है।

तदनुसार ईडी-इन्फ्रा-1, रेलवे बोर्ड ने 21.09.2023 को एमसीआरएल सहित सभी जेवीसी को सूचित किया कि, भारतीय रेलवे जीएसटी सहित विभाजित राजस्व को एसपीवी को हस्तांतरित करेगा।

27 दिसंबर 2023 को, हमने रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिणामस्वरूप जीएसटी के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी चिंताओं से अवगत कराया है और जीएसटी के मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया

और साथ ही कंपनी ने पूर्वी तट रेलवे से प्राप्त, माल ढुलाई संचालन से उपयोगकर्ता शुल्क (रेल संचालन से राजस्व विभाजन के रूप में प्राप्त राशि) की जीएसटी के तहत कर योग्यता के बारे में एमसीएल के सूचीबद्ध कर सलाहकार से राय प्राप्त की है। कर सलाहकार ने राय दी है कि एमसीआरएल द्वारा पूर्वी तट रेलवे को कोई सेवा प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में, रेल मंत्रालय ने पूर्वी तट रेलवे के माध्यम से एमसीआरएल को रेल प्रणाली के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए विशेष अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकार के रूप में रियायत दी है। उक्त रियायतों के आधार पर, एमसीआरएल को एकमात्र लाइसेंसधारी के रूप में साइट का उपयोग करने का अधिकार होगा और रियायत समझौते की समाप्ति पर एमसीआरएल पूरी रेल प्रणाली को रेलवे को हस्तांतरित करने के कानूनी दायित्व के तहत होगा। इसलिए, उपरोक्त के मद्देनजर, मामले के दिए गए तथ्यों में पूर्वी तट रेलवे से प्राप्त राशि पर एमसीआरएल द्वारा कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाना है।

उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी ने पूर्व तट रेलवे से प्राप्त राजस्व विभाजन पर कोई जीएसटी चालान नहीं बनाया है।

चूंकि पूर्व तट रेलवे से राजस्व साझाकरण जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसलिए पूर्व तट रेलवे द्वारा साझा किए गए उपयोगकर्ता शुल्क का सकल मूल्य राजस्व मान्यता के लिए दर्ज किया गया और पूर्व तट रेलवे द्वारा जीएसटी के लिए रोकी गई राशि को व्यापार प्राप्य में दिखाया गया है।

इसके अलावा 22 जून, 2024 को आयोजित 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सेवाओं पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशें शामिल हैं:-

2. भारतीय रेलवे को विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और भारतीय रेलवे द्वारा एसपीवी को प्रदान की जाने वाली रखरखाव सेवाएं पर जीएसटी से छूट देने के लिए भारतीय रेलवे को रियायत अवधि के दौरान एसपीवी द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाली अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में छूट अधिसूचना जारी होने की तिथि तक 01.07.2017 से अवधि के लिए अतीत के मुद्दे को 'जैसा है जहां है' के आधार पर नियमित किया जाएगा।

इसलिए, पूर्व तट रेलवे द्वारा एमसीआरएल से जीएसटी के लिए रोकी गई राशि को नियत समय में जारी कर दिया जाएगा। चूंकि लेन-देन को जीएसटी से छूट दी गई है, इसलिए एमसीआरएल के हिस्से के लिए जीएसटी के भुगतान की देयता उत्पन्न नहीं होती है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा लिया गया रुख उचित है।

B.प्रकटीकरण पर टिप्पणी

B.1 सामग्री लेखांकन नीति

राजस्व मान्यता (नोट 2.3)

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) की राजस्व मान्यता पर सामग्री लेखा नीति संख्या 2.3, अन्य बातों के साथ, ने कहा कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करते हुए, और राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां यह अत्यधिक संभावित है कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा।

भारतीय मानक लेखांकन 115 के पैराग्राफ 57 में ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर बताया गया है कि विचार की वह राशि जो इकाई के प्रभाव से बाहर के कारकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, और अनुबंध में संभावित विचार राशियों की एक बड़ी संख्या और व्यापक सीमा होती है, वे निवारक कारक हैं जो राजस्व उलटफेर की संभावना या परिमाण को बढ़ा सकते हैं। भारतीय मानक लेखांकन 115 के पैराग्राफ 110 में कहा गया है कि ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता को समझने के लिए इकाई द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरण आवश्यक है।

परियोजना के चरण-1 अंगुल -बलराम खंड को रेलवे द्वारा 21.08.2023 को 14.11.2022 से 60% की बढ़ी हुई मील-दूरी के साथ वाणिज्यिक रूप से अधिसूचित किया गया था।

पूर्व तट रेलवे ने दिसंबर'23 को नवंबर-22 से फरवरी- 23 के महीने के लिए राजस्व साझा किया है और बाद में हर महीने वे पिछले दो महीनों के लिए राजस्व साझा कर रहे हैं यानी राजस्व रेलवे द्वारा जून'23 तक 31.03.2024 तक पहले ही साझा किया जा चुका है।

सामग्री लेखांकन नीति के पैरा 2.3 'राजस्व मान्यता' के अनुसार,

"राजस्व मुख्य रूप से रेलवे से उपयोगकर्ता शुल्क से प्राप्त होता है। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम को बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया हो। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार है या उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय विचार का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करके, और राजस्व केवल इस हद तक पहचाना जाता है कि यह अत्यधिक संभावना है कि एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा..."

आगे भारतीय लेखा मानक 115 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के निम्नलिखित पैराग्राफों का संदर्भ लिया गया है

पैरा 31

"एक इकाई को राजस्व की पहचान तब करनी चाहिए जब (या जैसे ही) इकाई किसी ग्राहक को वादा किया गया सामान या सेवा (यानी एक परिसंपत्ति) हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है ..."

पैरा 35

"यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक पूरा होता है, तो एक इकाई समय के साथ किसी वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए, एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है और समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है:

(ए) ग्राहक इकाई के प्रदर्शन के कारण मिलने वाले लाभों को एक साथ प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, क्योंकि इकाई प्रदर्शन करती है..."

पैरा 46

"जब (या जैसे ही) निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है, तो इकाई लेनदेन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देगी..."

पैरा 47

एमसीआरएल ने पूर्व तट रेलवे (ईसीओआर) के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता (02 दिसंबर 2021) किया, जिसके तहत पूर्व तट रेलवे को 30 वर्षों की अवधि के लिए अंगुल-बलराम-पुटागड़िया-जरापाड़ा-तेनतुलोई स्टेशनों को कवर करते हुए 68 किलोमीटर रेल मार्ग प्रणाली के निर्माण, संचालन और रखरखाव का विशेष अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकार प्रदान किया गया, जिसके बदले में उसे रेल प्रणाली के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में 'अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन नियमों' के अनुसार निर्धारित रेल प्रणाली के माल संचालन से राजस्व विभाजन के 50 प्रतिशत के बराबर राशि प्राप्त होगी। तदनुसार, एमसीआरएल ने वर्ष 2023-24 में उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में कुल ₹2093.08 लाख का राजस्व दर्ज किया, जिसमें से वर्ष के दौरान ईसीओआर से वास्तव में ₹725.57 लाख (नवंबर 2022 से जून 2023 तक) प्राप्त हुए। हालाँकि, कुल राजस्व में उपयोगकर्ता शुल्क (जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक) के रूप में 1157.37 लाख रुपये भी शामिल थे, जिसका अनुमान एमसीआरएल ने रेकों की संख्या और पिछले महीनों के औसत उपयोगकर्ता शुल्क के आधार पर लगाया था, हालाँकि इस संबंध में पूर्व तट रेलवे (ईसीओआर) से कोई पुष्टि नहीं हुई।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए इकाई को अनुबंध की शर्तों और अपनी प्रथागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करना चाहिए। लेन-देन की कीमत वह राशि है जिसके लिए एक इकाई को ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद है...।"

उपरोक्त सामग्री लेखांकन नीति और भारतीय मानक लेखांकन के संदर्भित पैराग्राफों के अनुसार, अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन दायित्व अर्थात रेलवे ट्रैक पर रेक मूवमेंट जुलाई 23 से मार्च 24 के दौरान पहले ही हो चुका है और उसी अवधि के लिए अर्जित राजस्व को चिन्हित करने के लिए पिछले 8 महीनों के उपलब्ध आंकड़ों के औसत उपयोगकर्ता शुल्क की प्रवृत्ति को अवधि के दौरान रेक मूवमेंट से गुणा करते हुए उपरोक्त अवधि के लिए राजस्व का अनुमान लगाने हेतु लेनदेन मूल्य को निर्धारित/मापने के लिए 'संचित अनुभव' का उपयोग किया गया है।

जैसा कि भारतीय मानक लेखांकन 115 के पैराग्राफ 56 के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन में उल्लेख किया गया है, "पैराग्राफ 53 के अनुसार एक इकाई में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या सभी राशि को लेनदेन मूल्य में केवल उस सीमा तक शामिल करेगी, जहां यह अत्यधिक संभावित है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में महत्वपूर्ण उलटफेर तब नहीं होगा, जब परिवर्तनीय प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता को बाद में हल कर दिया जाता है।"

चूंकि रेक मूवमेंट का लेन-देन पहले ही हो चुका है अर्थात कार्य निष्पादन दायित्व पूरा हो चुका है और अनुमान पिछली अवधियों की उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण उलटफेर का कोई संकेत नहीं है। 'अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन नियम' केवल राजस्व की गणना का आधार है जो एक मौजूदा नियम है और पिछले महीनों के राजस्व के बंटवारे की गणना के लिए पहले से ही लागू है।

इसलिए, राजस्व को कंपनी की लागू भारतीय मानक लेखांकन और सामग्री लेखा नीति के अनुरूप मान्यता दी गई है।

इसके अलावा यह भी देखा जाना चाहिए कि खातों को बंद करने के बाद पूर्व तट रेलवे से निम्नलिखित महीनों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के लिए भुगतान प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार हैं:

(रु. करोड़ में)

माह	पूर्व तट रेलवे द्वारा भुगतान किया गया उपयोगकर्ता शुल्क	वित्तीय विवरण में प्रदान किया गया अनुमानित राजस्व	अंतर
जुलाई,23	1.54	1.38	0.16
अगस्त, 23	1.15	1.05	0.10
जनवरी-24	1.29	1.29	0.00
फरवरी-24	1.40	1.40	0.00
मार्च-24	1.80	1.65	0.15
कुल	7.18	6.77	0.41

संयुक्त उद्यम समझौते का सार 'अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन नियम'2 के अनुसार राजस्व के निर्धारण का उल्लेख करता है, जो भारतीय मानक लेखांकन 115 के पैराग्राफ 57 के प्रावधानों को आकर्षित करता है, जिसे आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय3 के पैराग्राफ 16 द्वारा आगे पूरक किया गया है। हालांकि, न तो सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.3 और न ही नोट 12.1: संचालन से राजस्व के नीचे किसी भी व्याख्यात्मक नोट में उल्लेख किया गया है कि क्या राजस्व अनुमान अंतिम रूप से तैयार किए गए 'अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन नियम' पर आधारित था या वास्तविक राजस्व प्राप्ति प्रत्येक वर्ष अलग-अलग हो सकती है। इसके अलावा, नोट 12.1 के तहत दर्ज की गई राशि प्राप्त राशि और एमसीआरएल द्वारा अनुमानित राशि को निर्दिष्ट नहीं करती है। उपर्युक्त तथ्यों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप भारतीय मानक लेखांकन 115 के पैराग्राफ 110 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। संयोग से, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की एक सहायक कंपनी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) स्व-निर्णय और अनुमानों पर भरोसा करने के बजाय एक स्थापित तंत्र (फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम तक अनुकूलित पहुंच) के आधार पर रेलवे से राजस्व आवंटन को मान्यता देती है, जिससे सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली विविध लेखांकन प्रथाओं का भी पता चलता है। इस प्रकार, नोट 12.1 के साथ पठित सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.3 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अनुमानित राजस्व मान्यता और रेलवे से पुष्टि किए गए आंकड़ों के बीच अंतर बहुत कम है और राजस्व में कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं हुआ है तथा शेष 4 महीनों के राजस्व को अभी भी पूर्व तट रेलवे द्वारा साझा किया जाना है।

चूंकि हम पूर्व तट रेलवे को कोई चालान नहीं दे रहे हैं और साझेदारी रेलवे द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किए जाने वाले अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन नियमों को ध्यान में रखते हुए रियायत समझौते के अनुसार की जाती है, इसलिए रेलवे से उपयोगकर्ता शुल्क से संबंधित राजस्व मान्यता के लिए, विशिष्ट नीति सामग्री लेखा नीति के 2.3 के पहले पैरा में उपलब्ध है।

माल परिचालन सूचना प्रणाली में डेटा एकीकरण के मामले को पूर्व तट रेलवे के साथ उठाया गया। चूंकि परियोजना का पहला चरण केवल 14 किलोमीटर का है और परियोजना का आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु किसी भी स्टेशन से जुड़ा नहीं है, इसलिए एफ़ओआईएस (FOIS) प्रणाली में त्रुटि रहित डेटा कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, जबकि उनकी तकनीकी टीम एफ़ओआईएस प्रणाली में त्रुटि रहित डेटा कैप्चर करने के लिए कार्यरत है।

लेखांकन नीति संख्या 2.3 पैरा-1 के प्रकटीकरण में कहा गया है कि "राजस्व मुख्य रूप से रेलवे से उपयोगकर्ता शुल्क से प्राप्त होता है। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करते हुए और राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां यह अत्यधिक संभावित है कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा...।"

लाभ हानि विवरण के नोट 12.1 में कहा गया है कि रु. 2093.08 अन्य सेवा - उपयोगकर्ता शुल्क से राजस्व था।

बैलेंस शीट के नोट संख्या 4.3 में कहा गया है कि व्यापार प्राप्य के रूप में उपयोगकर्ता शुल्क के लिए रु. 1367.51 प्राप्य/अनुमानित थे।

इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण में उपयोगकर्ता शुल्क की सकल राशि और प्राप्य राशि की उचित रूप से घोषणा की गई है।

हालांकि, अवलोकन के मद्देनजर, प्रबंधन आगामी वित्तीय विवरणों में सटीक और पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा।

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र

(₹ लाख में)

तुलन पत्र			दिनांक तक	
		नोट नं.	31.03.2024	31.03.2023
संपत्ति				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3.1	9.96	16.35
प्रगति पर पूंजीगत कार्य		3.2	(0.00)	31,089.69
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ		3.3	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.4	28,692.33	-
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.5	2,619.62	-
वित्तीय पूंजी	निवेश	4.1	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		11.2	-	-
गैर-चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		11.1	-	-
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		6.1	9,276.31	10,078.65
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			**40,598.22**	**41,184.69**
चालू परिसंपत्तियाँ				
इन्वेंट्री		5.1	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	निवेश	4.1	-	-
	व्यापार प्राप्तियाँ	4.3	1,367.51	-
	नकद और नकद समकक्ष	4.4	3,181.40	65.78
	अन्य बैंक शेष	4.5	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	6.12	2.42
चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		11.1	8.18	0.58
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		6.2	56.92	0.06
कुल चालू परिसंपत्तियाँ			**4,620.13**	**68.84**
कुल परिसंपत्तियाँ			**45,218.35**	**41,253.53**

इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी		7.1	9,000.50	9,000.50
पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के उपकरण			29,250.00	-
अन्य इक्विटी		7.2	(294.99)	(136.88)
कंपनी के इक्विटीधारकों को दी जाने वाली इक्विटी			**37,955.51**	**8,863.62**
गैर-नियंत्रक हित		7.3	-	-
कुल इक्विटी			**37,955.51**	**8,863.62**
देयताएँ				
गैर-चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-
	लीज़ देयताएँ	8.2	-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	-	-
प्रावधान		9.1	-	-
आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		11.2	-	-
अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ		10.1	-	-
कुल गैर-चालू देयताएं			-	-
वर्तमान देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-
	लीज़ देयताएँ	8.2	-	-
	व्यापार देयताएँ	8.3		
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया; तथा		-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		155.32	29.95
	अन्य वित्तीय देयताएं	8.4	7,103.53	32,324.69
अन्य चालू देयताएँ		10.2	4.00	35.27
प्रावधान		9.1	-	-
वर्तमान कर देयताएँ (शुद्ध)		11.1	-	-
कुल चालू दायित्व			**7,262.84**	**32,389.91**
कुल शेयर और देनदारियां			**45,218.35**	**41,253.53**

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(एस. के. बेहरा)	**(बी. के. परिदा)**	**(एस. नायक)**	**मिश्रा बढाई एंड एसोसिएट्स के लिए**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सनदी लेखाकार
			फर्म पंजीयन संख्या - 322053E

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(एस.के.सिन्हा)	**(केशव राव)**	**(सनदी लेखाकार एस मुखर्जी)**
निदेशक	अध्यक्ष	साझेदार
डीआईएन: 10368492	डीआईएन: 08651284	(सदस्यता संख्या 060219)

तारीख:

स्थान:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

	नोट नं.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व (शुल्क के बाद निवल)			
बिक्री	12.1	-	-
अन्य परिचालन राजस्व	12.1	2,093.08	-
परिचालन से राजस्व (शुल्क के बाद निवल)		**2,093.08**	**-**
अन्य आय	12.2	109.82	5.87
कुल आय		**2,202.90**	**5.87**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	13.1	-	-
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	13.1(a)	-	-
"तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड			
और कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन"	13.2	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	146.27	-
वित्त लागत	13.4	822.86	-
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	13.5	1,200.31	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	-	-
संविदागत व्यय	13.7	17.65	-
अन्य खर्चों	13.8	173.92	49.32
कुल व्यय		**2,361.01**	**49.32**
संयुक्त उद्यम के शेयर से पहले लाभ/(हानि)		**(158.11)**	**(43.44)**
संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) का हिस्सा		**-**	**-**
कर पूर्व लाभ		**(158.11)**	**(43.44)**
कर व्यय	14.1		
चालू कर		-	-
स्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		**-**	**-**
अवधि के लिए लाभ		**(158.11)**	**(43.44)**

अन्य व्यापक आय	15.1		
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		**-**	**-**
कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)		**(158.11)**	**(43.44)**
लाभ का श्रेय:			
कंपनी के मालिकों		(158.11)	(43.44)
गैर-नियंत्रक हित को		-	-
		(158.11)	(43.44)
अन्य व्यापक आय जिसके लिए जिम्मेदार हैं:			
कंपनी के मालिक		-	-
गैर-नियंत्रक हित		-	-
		-	-
कुल व्यापक आय जिसके लिए जिम्मेदार है:			
कंपनी के मालिक		(158.11)	(43.44)
गैर-नियंत्रक हित		-	-
		(158.11)	(43.44)
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक): (वित्त वर्ष और पिछली अवधि के लिए पुनः घोषित)			
बुनियादी		(0.18)	(0.05)
डायलुटेड		(0.18)	(0.05)

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मंडल की ओर से

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(एस. के. बेहरा)	**(बी. के. परिदा)**	**(एस. नायक)**	**मिश्रा बढाई एंड एसोसिएट्स के लिए**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सनदी लेखाकार
			फर्म पंजीयन संख्या - 322053E

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(एस.के.सिन्हा)	**(केशव राव)**	**(सनदी लेखाकार एस मुखर्जी)**
निदेशक	अध्यक्ष	साझेदार
डीआईएन: 10368492	डीआईएन: 08651284	(सदस्यता संख्या 060219)

तारीख:
स्थान:

नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

		31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर से पहले लाभ		(158.11)	(43.44)
इसके लिए समायोजन:			
संयुक्त उद्‌यम का हिस्सा		-	-
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		1,200.31	-
ब्याज और लाभांश आय		(109.79)	-
वित्त लागत		822.86	-
(लाभ)/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि		-	-
देयता और प्रावधान वापस लिखा (शुद्‌ध)		-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ता		-	-
अन्य भत्ते और राइट ऑफ		-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
विदेशी विनिमय दर भिन्नता		-	-
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,755.27**	**(43.44)**
समायोजन:			
व्यापार प्राप्तियाँ		(1,367.51)	-
इन्वेंट्री		-	-
ऋण और अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ		(57.78)	(7.18)
वित्तीय और अन्य देयताएँ		4,670.33	15,574.59
व्यापार देय		125.37	20.54
परिचालन से उत्पन्न नकदी		**5,125.68**	**15,544.51**
आयकर (भुगतान किया गया)		(7.60)	0.26
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्‌ध नकदी प्रवाह	**(A)**	**5,118.08**	**15,544.77**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		(1,286.59)	(15,915.34)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से बिक्री आय		-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति में वृद्‌धि		-	-
बैंक जमा में आय/(निवेश)		-	-
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि में आय/(निवेश)		-	-
संयुक्त उद्‌यम में इक्विटी के लिए भुगतान		-	-
निवेश से ब्याज		107.00	1.59
म्यूचुअल फंड से प्राप्त ब्याज/लाभांश		-	-
म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश			
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**(B)**	**(1,179.59)**	**(15,913.75)**

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
गैर-चालू उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती)		-	-
वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(पुनर्भुगतान)			
पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)		-	-
ब्याज का भुगतान किया		(822.86)	-
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	**(C)**	**(822.86)**	**-**
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (ए+बी+सी)		**3,115.62**	**(368.98)**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		**65.78**	**434.77**
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**3,181.40**	**65.79**
नकदी और नकदी समकक्षों का समाधान (नोट 4.4 देखें)			
नकदी और नकदी समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद शुद्ध)		**3,181.40**	**65.78**

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-चालू उधार*	वित्त पट्टा देयताएं	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष राशि	-	-	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:			-
वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेन-देन लागत	-		
31 मार्च 2024 तक समापन शेष	-	-	-

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-वर्तमान उधार*	वित्त पट्टा देयताएं	चालू उधार
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष राशि			-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:			
वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेन-देन लागत	-		
31 मार्च 2023 तक समापन शेष	-	-	-

* इसमें गैर-वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, नोट 8.1 देखें

2. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 - 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(एस. के. बेहरा)	**(बी. के. परिदा)**	**(एस. नायक)**	**मिश्रा बढाई एंड एसोसिएट्स के लिए**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सनदी लेखाकार
			फर्म पंजीयन संख्या - 322053E

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(एस.के.सिन्हा)	**(केशव राव)**	**(सनदी लेखाकार एस मुखर्जी)**
निदेशक	अध्यक्ष	साझेदार
डीआईएन: 10368492	डीआईएन: 08651284	(सदस्यता संख्या 060219)

तारीख:
स्थान:

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(₹ लाख में)

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2024 तक			
विवरण	**शेष राशि 01-04-2023 तक**	**वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**शेष राशि 31.03.2024 तक**
90005000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः चुकता	9,000.50		9,000.50
31.03.2023 तक			
विवरण	**शेष राशि 01-04-2022 तक**	**वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**शेष राशि 31.03.2023 तक**
90005000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः चुकता	9,000.50		9,000.50

बी. अन्य इक्विटी

विवरण	**भंडार और अधिशेष**				**विदेशी सहायक कंपनी (ओसीआई) के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर**	**कुल**
	पूंजी मोचन रिजर्व	**सामान्य रिजर्व**	**प्रतिधारित कमाई**	**ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर के बाद शुद्ध)**		
01.04.2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**(136.88)**	**-**	**-**	**(136.88)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	**(136.88)**	-	-	**(136.88)**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	**(158.11)**	-		**(158.11)**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-		-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान जोड़	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	-	-	-		-
शेयरों की पुनः खरीद	-	-	-	-		-
बायबैक पर कर	-	-	-	-		-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-		-
शेष राशि 31.03.2024 तक	**-**	**-**	**(294.99)**	-	-	(294.99)

विवरण	भंडार और अधिशेष				विदेशी सहायक कंपनी (ओसीआई) के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	कुल
	पूंजी मोचन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर के बाद शुद्ध)		
01.04.2022 तक शेष राशि	**-**	**-**	**(93.44)**	**-**	**-**	**(93.44)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2022 तक पुनः घोषित शेष राशि	**-**	**-**	**(93.44)**	**-**	**-**	**(93.44)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			(43.44)	-		(43.44)
अंतरिम लाभांश			-			-
अंतिम लाभांश			-			-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण		-	-			-
शेयरों की पुनः खरीद						-
बायबैक पर कर						-
बोनस शेयर जारी करना						-
31.03.2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**(136.88)**	**-**	**-**	**(136.88)**

लाभांश तथा आरक्षित निधियों एवं अधिशेष की प्रकृति एवं उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(एस. के. बेहरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(बी. के. परिदा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. नायक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
मिश्रा बढाई एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या - 322053E

ह/-
(एस.के.सिन्हा)
निदेशक
डीआईएन: 10368492

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08651284

ह/-
(सनदी लेखाकार एस मुखर्जी)
साझेदार
(सदस्यता संख्या 060219)

तारीख:
स्थान:

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी-1 निगमित जानकारी

कंपनी का संक्षिप्त विवरण:

ओडिशा राज्य में रेल कॉरिडोर विकसित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(एमसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड(इरकॉन) और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आईडीसीओ) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। तद्नुसार, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के नाम पर एक अलग कंपनी की स्थापना की गई, जिसका इक्विटी भागीदारी अनुपात 64:26:10 था, जिसे 31 अगस्त 2015 को निगमित किया गया था। ऐसा उद्यम केंद्र और राज्य सरकार से प्रशासनिक सहायता, रेलवे से तकनीकी सहायता और कोयला खदानों के सामने आने वाली रसद चुनौतियों का सामना करने के लिए एमसीएल से वाणिज्यिक सहायता प्राप्त करके तालमेल बनाता है। रेल संरचना में निवेश करके और रेल कॉरिडोर से यातायात से उत्पन्न राजस्व को साझा करके एक सहभागी व्यवसाय मॉडल के माध्यम से उद्यम में बने रहने के लिए इसकी अवधारणा की गई है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार ओडिशा सरकार(जीओओ) द्वारा प्रदत्त भूमि का मूल्य, आईडीसीओ इक्विटी का हिस्सा के समतुल्य या 10% से अधिक, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुरूप होगा। यदि ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि के मूल्य इक्विटी के 10% से अधिक है, तो आईडीसीओ और एमसीएल की शेयरधारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित मानी जाएगी। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि (राजस्व और वन भूमि) ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे एवं ऐसे भूमि का मूल्य उसकी इक्विटी में समायोजित किया जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनीकरण प्रतिपूर्ति लागत, वर्तमान शुद्ध लागत, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सीमांकन, कटाई और वन योजना परिवर्तन प्रस्ताव के लिए अन्य शुल्क एमसीआरएल द्वारा वहन किया जाएगा। रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले इरकॉन के माध्यम से प्रारंभिक गतिविधियों को अंजाम देने और दो चरणों में निर्माण कार्य करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। संपत्तियों के रखरखाव, संचालन और रियायत के लिए एमसीआरएल रेल मंत्रालय के साथ समझौता करेगा।

टिप्पणी:2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

i. कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ii. वित्तीय विवरण माप की ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय को छोड़कर

- उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय आस्तियां और देनदारियां (पैरा 2.14 में वित्तीय साधनों पर लेखा नीति देखें;)
- परिभाषित लाभ योजनाएं- उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियां;
- लागत पर माल सूची या एनआरवी जो भी कम हो (पैरा संख्या 2.20 में लेखा नीति देखें।)

2.1.1 राशियों का पूर्णांकन

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो, दो दशमलव बिंदुओं तक लाख रूपये में पूर्णांकित किया गया है।

2.2 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब:

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में संपत्ति को वसूल करने की अपेक्षा करता है, या इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखता है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संपत्ति रखता है;

ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति की वसूली की उम्मीद करता है; या

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक7 में परिभाषित है) जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी का निपटान करने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी देनदारी को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब:

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता को निपटाने की उम्मीद करता है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए देयता रखता है;

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देयता का निपटान किया जाना है; या

घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देनदारी की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिणामित हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह आम तौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान करना:

कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

ख) कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग) कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक सार है (यानी अनुबंध के परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि बदलने की उम्मीद है); और

ङ) यह संभव है कि कंपनी ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में उस प्रतिफल को एकत्र करेगी जिसके लिए वह हकदार होगी। कंपनी जिस प्रतिफल की हकदार होगी, वह अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रदर्शन बोनस या इसी तरह की वस्तुओं के प्रोत्साहन की हकदार हो सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ एक ही समय में या उसके निकट किए गए दो या अधिक अनुबंधों को जोड़ती है और निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा करने पर अनुबंधों को एकल अनुबंध के रूप में ध्यान में रखती है:

क) अनुबंधों पर एक ही वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है;

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में वादा किए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अनुबंध संशोधन के लिए एक अलग अनुबंध के रूप में जिम्मेदार है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद हैं:

क) वादा किए गए सामान या सेवाओं को जोड़ने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ता है जो अलग हैं और

ख) अनुबंध की कीमत प्रतिफल की राशि से बढ़ जाती है जो अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाओं की कंपनी की स्टैंड-अलोन बिक्री कीमतों को दर्शाती है और विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित

करने के लिए उस कीमत पर किसी भी उचित समायोजन को दर्शाती है।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान करना:

अनुबंध की शुरुआत में, कंपनी एक ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान करती है जो प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित करने का वादा करती है,चाहे वह -

क) एक सामान या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है; या

ख) विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनका ग्राहक को हस्तांतरण का समान पैटर्न है।

चरण 3: लेन-देन की कीमत निर्धारित करना

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसकी प्रथागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की अपेक्षा करती है ,जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित की गई राशि शामिल नहीं है। एक ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में निश्चित मात्रा, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, एक कंपनी निम्नलिखित सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनशील विचार;
- परिवर्तनीय विचार के अनुमानों को सीमित करना;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर- नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल।

बट्टा, छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन निष्पादन बोनस, या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी अलग-अलग हो सकता है यदि प्रतिफल के लिए कंपनी की पात्रता किसी भावी घटना के घटित होने या न होने पर आकस्मिक है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेन-देन की कीमत निर्धारित करने में दंड निहित है, यह परिवर्तनीय प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या सभी राशि को केवल उस सीमा तक शामिल करती है, जिसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण उलटफेर तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता को बाद में हल की जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिफल राशि को समायोजित नहीं करती है, यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिवद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस माल या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

यदि कंपनी किसी ग्राहक से प्रतिदाय प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिदाय का कुछ या पूरा भाग वापस करने की अपेक्षा रखती है, तो कंपनी प्रतिदाय दायित्व को मान्यता देती है। प्रतिदाय देनदारी को प्राप्त (या प्राप्य) प्रतिदाय की राशि पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार होने की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिदाय देनदारी (और लेनदेन मूल्य में संबंधित परिवर्तन और इसलिए, अनुबंध देनदारी) को अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की शुरूआत के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं, जो उस भुगतान की राशि को बदलते हैं जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य आवंटित करना:

लेन-देन की मूल्य आवंटित करते समय कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए उस राशि पर लेन-देन मूल्य आवंटित करना होता है, जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए लेन-देन में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबन्धित स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तु या सेवाओं के अनुबंध के प्रारम्भ पर स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व की मान्यता:

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई वस्तु या सेवा तब स्थानांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न में से कोई एक मानदंड पूरा होता है:

क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है जैसा कि कंपनी करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है और जितनी परिसंपत्ति बनाई या बढ़ाई हुई है उतनी ग्राहक नियंत्रित करता है।

ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ एक संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट एक प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से मापती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व को मान्यता देने के लिए आउटपुट विधियों को लागू करती है। आउटपुट विधियों में आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धियां, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या वितरित इकाइयाँ जैसी विधियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने के लिए अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुसार लेखांकन अनुमान में बदलाव के रूप में देखा जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी मान्यता देती है जब कंपनी प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। जब (या जैसे) एक प्रदर्शन दायित्व पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है जिसम् परिवर्तनीय विचार के अनुमान शामिल नहीं होते हैं जो कि उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित होते हैं।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं होता है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। उस समय का निर्धारण करने के लिए जिस पर ग्राहक एक वादा किए गए वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;

ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक है;

ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं;

ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा स्वीकार कर ली है ।

जब अनुबंध के किसी भी पक्ष ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंधों के आधार पर अनुबंध को अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति:

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के लेन-देन में विचार करने का अधिकार देती है। यदि कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य:

प्राप्य कंपनी के उस प्रतिफल की राशि के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है जो बिना शर्त है (अर्थात, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं:

अनुबंध दायित्व किसी ग्राहक को सामान या सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त हुआ है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) का हिसाब तब लिया जाता है, जब वसूली की निश्चितता होती है और इसे मज़बूती से मापा जा सकता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों के खर्चों के रूप में पहचान करती है जिनके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात संपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्षक के तहत लाभ और हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

प्रमोटर के योगदान की प्रकृति में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे "पूंजीगत रिजर्व" में मान्यता दी जानी चाहिए जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध किसी मान्यता प्राप्त संपत्ति के उपयोग को विचाराधीन समयावधि के बदले में नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, पट्टा भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके और तथा पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन दर्शाने हेतु वहन राशि को पुनरांकित कर आँका जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है। संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-से-उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.5.2 कंपनी एक पट्टादाता के रूप में

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टे - परिचालन पट्टों से पट्टे के भुगतान को या तो एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

वित्त पट्टे - एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.6 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और)या निपटान समूहों) लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाईयों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या बेचने का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान शामिल है, जब एक्सचेंज में वाणिज्यिक पदार्थ होता है। बिक्री के लिए आयोजित वर्गीकरण के मानदंड को तभी पूरा माना जाता है जब संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री है अत्यधिक संभावना है; और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति)या निपटान समूहों) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- एक खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से उस कीमत पर विपणन किया जा रहा है जो इसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,
- बिक्री को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

भूमि का वहन ऐतिहासिक कीमत पर किया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की एक वस्तु को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में शामिल हैं:

(क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर -वापसी कराया मूल्य शामिल हो।

(ख) प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए संपत्ति को स्थान और स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत।

(ग) वस्तु को तोड़ने एवं हटाने और उस स्थल को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान जिस पर वह स्थित है, दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो जब वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप होता है, उस अवधि के दौरान वस्तु का उत्पादन करने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अवधि।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु का प्रत्येक भाग एक लागत के साथ जो अलग से मूल्यह्रास की गई वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है। हालांकि, समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति वाले पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण हिस्से को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रति-दिन सर्विसिंग की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है जिसमें वह खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। उन पुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार अमान्य कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि में एक प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक वस्तु के निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की ऐसी मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(पट्टे की भूमि सहित)	:	परियोजना का जीवन या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो
भवन	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूरसंचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3-6वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए संपत्ति का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ मदों जैसे, कोयला टब, घुमावदार रस्सियों, ढुलाई रस्सियों, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि को छोड़कर जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिनियम और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957 के तहत “अन्य भूमि” का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं ।

पूरी तरह से मूल्यह्रास संपत्ति, सक्रिय उपयोग से विरत संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण की गई संपत्ति के रूप में अलग से प्रकट की जाती है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ संपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने का निर्णय लिया है। (अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए, जैसा कि पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है)।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

अन्वेषण और मूल्यांकन आस्तियों में पूंजीकृत लागतें शामिल हैं जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज के लिए जिम्मेदार हैं, तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और एक मान्यता प्राप्त संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लंबित हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- अन्वेक्षण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक अन्वेक्षण डेटा का शोध और विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययनों के माध्यम से अन्वेषण डेटा एकत्र करना;
- खोजपूर्ण ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग और नमूनाकरण;
- संसाधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और जांच करना;
- परिवहन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार और वित्त अध्ययन आयोजित करना।

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री और उपयोग किए गए ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अमूर्त घटक समग्र अपेक्षित मूर्त लागतों के एक नगण्य/अभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य के दोहन से वसूल किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

तकनीकी व्यवहार्यता और परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण के लंबित परियोजना के आधार पर अन्वेषण और मूल्यांकन लागतों को परियोजना के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद में उन्हें लागत कम संचित हानि/प्रावधान पर मापा जाता है।

एक बार भंडार निर्धारित होना प्रमाणित हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिलने के बाद, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, अगर साबित हो जाए कि भंडार निर्धारित नहीं किया गया है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास व्यय

वाणिज्यिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; जब स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए किसी परियोजना/खान की व्यावसायिक तत्परता या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

क) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से उस वर्ष के तुरंत बाद जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार रेटेड क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या

ख) कोयले के उत्पादन के दो 2 वर्ष, या

ग) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक है।

जो भी घटना पहले होती है;

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो।

2.11 अमूर्त संपत्ति

अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में अर्जित अमूर्त संपत्ति की लागत अधिग्रहण की तिथि में उनका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर गणना) और संचित हानि, यदि कोई हो, से कम लागत पर ले जाया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त, पूंजीकृत नहीं हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का मूल्यांकन या तो परिमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति खराब हो सकती है तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन पद्धति की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उपयुक्त के रूप में संशोधित करने के लिए माना जाता है, और इसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के बयान में मान्यता दी गई है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति की मान्यता समाप्त करने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के कारण अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तिया (अर्थात सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉकों के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ़्टवेयर की लागत का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो भी कम हो, शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधन किया जाता है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 आस्तियों की क्षति (वित्तीय आस्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उपयोग में संपत्ति या नकद-उत्पादक इकाई के मूल्य और इसके उचित मूल्य से अधिक है और निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र हैं अन्य संपत्ति या संपत्ति के समूह, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि नकदी पैदा करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे संपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए रखी गई है; या व्यवसायों के सामान्य क्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू उधार लागत शामिल है।

निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

2.14.1 वित्तीय आस्तियां

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेन-देन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री

जिसके लिए बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय-सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तिथि को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.14.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय आस्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय(एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन(एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय(एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी साधन

2.14.2.1 परिशोधन लागत पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

2.14.2.2 एफ़वीटीओसीआई पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ़वीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को आरंभ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य गतिविधि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी पी. एंड एल. में ब्याज आय, खराबी के कारण हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन को धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफ़वीटीपीएल पर ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफ़वीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफ़वीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधन लागत या एफ़वीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है, जैसा कि एफ़वीटीपीएल में है। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता विसंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है) कंपनी ने एफ़वीटीपीएल के रूप में कोई ऋण साधन निर्दिष्ट नहीं किया है ।

एफ़वीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को पी. एंड एल. में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (को पहली बार अपनाई गई भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार परिवर्तनीय तारीख को पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की अग्रणीत राशि को मानी गई लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश का लेखा इक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में निर्धारित है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव इंस्ट्रूमेंट बाय -इंस्ट्रूमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफ़वीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, साधनों पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर ओसीआई से पी. एंड एल. की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो

क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या

ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, बल्कि संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, कंपनी, कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानना जारी रखती है । उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी पहचानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है । हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के न्यूनतम हिस्से में और अधिकतम राशि जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय मानक लेखांकन 109 के अनुसार ,कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम, जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधन लागत पर मापा जाता है जैस- ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है

(ग) भारतीय लेखांकन मानक 17 के तहत पट्टा प्राप्तियां

(घ) व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है और जो भारतीय लेखांकन मानक 115 के अंतर्गत होता है ।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि, हानि भत्ता की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है :

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्तियां; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के दायरे में लेनदेन के परिणाम स्वरूप सभी पट्टा प्राप्तियां।

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं

है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही मान्यता देता है ।

2.14.3 वित्तीय देनदारियां

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय, ऋण और बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और ऋण और उधार और देय राशि के मामले में, लेनदेन लागतों को घटाकर दर्शाया जाता है।

2.14.3.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियां और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि के रूप में नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखांकन मानक 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के लिए ओसीआई, में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में पी एंड एल को हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से किसी भी वित्तीय दायित्व को उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है और साथ ही प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय देयता को तब मान्यता दी जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का हिस्सा) की वहन राशि (या वित्तीय देयता का हिस्सा) को किसी अन्य पार्टी को स्थानांतरित या हस्तांतरित की गई राशि और भुगतान किए गए विचार के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी लिखत और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। बिजनेस मॉडल में बदलाव कम होने की उम्मीद है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करते हैं जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के बदलाव बाहरी दलों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी ऐसी गतिविधि करना शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके

संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो वह पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी पुनर्वर्गीकरण को लागू करती है जो कि व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ, हानि)हानि लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुन: नहीं बताती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण को दर्शाती है और उनका हिसाब कैसे लगाया जाता है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन प्रसंस्करण
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुन:वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को पी एंड एल में मान्यता दी गई है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओसीआई में मान्यता दी गई है। पुनःवर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनः वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधन लागत वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्ति को मापा जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधन लागत पर मापा गया हो।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई अग्रणीत राशि बन जाती है।जिसमें किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन:वर्गीकरण तिथि पर पी एंड एल में पुन:वर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को पूरा किया जाता है और समेकित तुलन पत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को पूरा करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है एवं शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है, तो देयताओं को प्राप्त करने के साथ ही साथ परिसंपत्तियों की वसूली और निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.14.6 नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्र में नकद और नकद समतुल्य जिसमें बैंकों में नकद और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध बकाया उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लेने की लागत

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या आस्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो,तो उसे छोडकर खर्च किया जा सकता है, जो आस्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक आस्तियों के लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है, जब तक कि आस्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि (के संबंध में देय राशि (वसूली योग्य) आयकर की राशि है । कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बताया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो अन्य वर्षों

में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से उत्पन्न होता है या लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा(से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। इस तरह के निवेश और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा।

आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से की वसूली की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि सभी या आस्थगित कर संपत्ति के हिस्से को वसूल करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें देयता का निपटान किया गया है या संपत्ति का एहसास हुआ है, जो कर की दर (और कर कानून) के आधार पर लागू किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि को पुनर्प्राप्त या व्यवस्थित करने के लिए कंपनी को उम्मीद है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, इस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी लाभ

2.17.1 अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना भविष्य निधि और पेंशन के लिए एक रोजगार के बाद लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के एक अधिनियम के तहत गठित एक अलग वैधानिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि(द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा । परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा एक रोजगार के बाद की लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है। लाभ को इसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए छूट दी जाती है और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से घटा दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार

प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यांकित किया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आवेदन में छूट दर, संपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर, भविष्य के वेतन में वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणा बनाना शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक एक्चुअरी द्वारा प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना की जाती है। जब गणना से कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से भविष्य में किसी भी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य या योजना में भविष्य के योगदान में कमी तक सीमित होती है। कंपनी को एक आर्थिक लाभ उपलब्ध होता है यदि यह योजना के जीवन के दौरान, या योजना देनदारियों के निपटान पर प्राप्त करने योग्य है।

निवल परिभाषित लाभ देयता का पुन: माप, जिसमें योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है और परिसंपत्ति सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभावों को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। शुद्ध ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

जब योजना के लाभों में सुधार होता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजा आदि समान आधार पर मान्यता प्राप्त है,जो ऊपर परिभाषित लाभ योजना में वर्णित है। परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित अनुसार आधार। इन लाभों में विशिष्ट धन नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये(आईएनआर) में है जो उस आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है जिसमें वह संचालित होती है।

लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के उन दरों से भिन्न दरों पर अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित किया गया था, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20 इन्वेंटरी

2.20.1 स्टोर और स्पेयर

सेंट्रल और एरिया स्टोर्स में स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें लूज टूल्स भी शामिल है) के स्टॉक को मूल्य स्टोर लेज़र में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार माना जाता है और भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/उप-भंडार/ड्रिलिंग कैंप/ उपभोक्ता केंद्रों पर पड़े स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की सूची को वर्ष के अंत में केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित नहीं किए गए स्टोर और पुर्जों के लिए 50% दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.20.3 अन्य इन्वेंटरी

वर्क-इन-प्रोग्रेस सहित वर्कशॉप जॉब्स को लागत पर महत्व दिया जाता है। प्रेस में मुद्रित कार्य का स्टॉक) प्रगति में काम सहित) और प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं का मूल्य लागत पर है।

हालांकि, स्टेशनरी के स्टॉक) प्रिंटिंग प्रेस में पड़े रहने के अलावा) ईंटों, रेत, दवा) केंद्रीय अस्पतालों को छोड़कर)

विमान के पुर्जों और स्क्रैप को उनके मूल्य के महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण सूची के विचाराधीन नहीं है।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभव है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी को निपटाने के लिए और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां पैसे का समय मूल्य भौतिक है, प्रावधान को दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताया गया है।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो ।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, जब आय की प्राप्ति लगभग निश्चित है, तो संबंधित परिसंपत्ति एक आकस्मिक संपत्ति नहीं है और इसकी मान्यता उचित है।

2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना, कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके और साथ ही सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से की जाती है।

2.23 निर्णय, अनुमान और धारणाएँ

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा हैं, रिपोर्ट की अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करने वाली लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमान में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और, यदि भौतिक हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.23.1.1 लेखा नीतियों का निरूपण

लेखांकन नीतियां इस तरह से तैयार की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी होती है, जिन पर वे लागू होते हैं। उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो।

भारतीय लेखांकन मानक की अनुपस्थिति में जो विशेष रूप से एक लेन-देन, अन्य घटना या स्थिति पर लागू होता है, प्रबंधन ने एक लेखा नीति विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी होती है:

क) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और

ख) उस वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता

1) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं

2) न कि केवल कानूनी रूप को दर्शाता है बल्कि लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को दर्शाता है।

3) निष्पक्ष हैं, अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त है

4) विवेकपूर्ण हैं; और

5) लगातार आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम

में संदर्भित करता है, और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

क) समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय लेखांकन मानक में आवश्यकताएं ;तथा

ख) परिभाषाएँ, परिभाषित मानदंडों और परिसंपत्तियों की माप अवधारणाएं ,देनदारियों, आय और व्यय के लिए रूपरेखा।

निर्णय लेने में ,प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की सबसे हाल के ही घोषणाओं पर विचार करता है और इसके अभाव में अन्य मानक-सेटिंग निकायों के उन पर विचार करता है जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं। ये उपरोक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ कुछ हद तक संघर्ष नहीं करते हैं।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है)एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों से चल रहे पट्टे की अवधि में फैले विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन इलाके पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन के लिए प्रवण होते हैं (लेखांकन नीतियां जिनके आधार पर विकसित हुई हैं अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं पर और पिछले कई दशकों में इसके लगातार आवेदन के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों के अभाव में जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और उसमें किसी भी विकास को विशेष रूप से भारतीय लेखांकन मानक 8 में ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभावित रूप से हिसाब किया जाएगा।

लेखांकन के सटीक आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.23.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखांकन मानक उन मदों पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन निर्णय का उपयोग यह तय करने में करता है कि क्या व्यक्तिगत आइटम या आइटम के समूह वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण हैं। भौतिकता को प्रकृति या परिमाण या दोनों मदों के संदर्भ में आंका जाता है। निर्णय लेने वाला कारक यह है कि क्या किसी जानकारी को छोड़ना या गलत बताना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के संयोजन में उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक की अनुपालन आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए भौतिकता के निर्णय का भी उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से अभौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

दिनांक-01.04.2019 के पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजी गई त्रुटियों/चूक को सारहीन माना जा सकता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जा सकता है, यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूक पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का कुल संपत्ति के 1% से अधिक नहीं हैं।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौता किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। परिचालन पट्टों के रूप में अनुबंधों के लिए इन संपत्तियों और खातों के स्वामित्व के इन सभी महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार और संपत्ति का उचित मूल्य को बरकरार रखता है।

2.23.2 आकलन और अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है जो नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

2.23.2.1 गैर-वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पादन इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य से अधिक है निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है, हानि का एक संकेत है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य एक डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से लिया गया है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियां शामिल नहीं हैं जो कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू के परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन

बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा किया गया है और आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए हानियों का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ भविष्य के कर योग्य लाभ के स्तर के आधार पर, पहचानी जा सकने वाली स्थगित कर संपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजना की लागत और अन्य रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभ और उपदान दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अधीन पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपयुक्त छूट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन सरकारी बांडों की ब्याज दरों को रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में मानता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दर पर आधारित है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहां संभव हो अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में नगदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/जैसे विचारधीन निवेश शामिल हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिए गए उचित मूल्य को प्रभावित करता है।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार एक परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है।

2.24 प्रयुक्त संक्षिप्त नाम

क)	सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई
ख)	डीसीएफ	नकदी आय जन्य निवेश
ग)	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
घ)	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ङ)	जीएएपी	लेखा सिद्धांत आम तौर पर स्वीकार ये जाते है
च)	इंड एएस	भारतीय लेखांकन मानक
छ)	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
ज)	पी. एंड एल.	लाभ और हानि
झ)	पीपीई	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण
ञ)	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान
ट)	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर

वित्तीय विवरणियों नोट

नोट 3.1 : सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

₹ लाख में

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि 1	भूमि पुनर्ग्रहण/ साइट पुनर्स्थापन लागत 3	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	फ़र्निचर व फिक्सचर	वाहनों	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन संरचना	सर्वेक्षण की गई संपत्ति	रेल कॉरिडोर	अन्य4	कुल
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल, 2022 तक						32.96		3.42							36.38
जोड़								1.96							1.96
विलोपन/समायोजन															-
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	-	-	32.96	-	5.38	-	-	-	-	-	-	38.34
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-	-	-	32.96	-	5.38	-	-	-	-	-	-	38.34
जोड़						0.36		0.12							0.48
विलोपन/समायोजन								(0.59)							(0.59)
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	33.32	-	4.91	-	-	-	-	-	-	38.23
संचित मूल्यह्रास और परिशोधन															
1 अप्रैल, 2022 तक						15.15		1.62							16.77
वर्ष के लिए शुल्क						4.63		0.59							5.22
विलोपन/समायोजन															-
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	-	-	19.78	-	2.21	-	-	-	-	-	-	21.99
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-	-	-	19.78	-	2.21	-	-	-	-	-	-	21.99
अवधि के लिए शुल्क						5.00		1.84							6.84
विलोपन/समायोजन								(0.56)							(0.56)
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	24.78	-	3.49	-	-	-	-	-	-	28.27
संचित हानि															
1 अप्रैल, 2022 तक															-
वर्ष के लिए शुल्क															-
विलोपन/समायोजन															-
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए शुल्क															-
विलोपन/समायोजन															-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि															
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	8.54	-	1.42	-	-	-	-	-	-	9.96
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	-	-	13.18	-	3.17	-	-	-	-	-	-	16.35

1. The company has not revalued its Property, Plant and Equipment and Intangible assets during the current year or previous year.

नोट 3.2 : पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन अवसंरचना/विकास	रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल, 2022 तक				2,047.42	16,168.35			18,215.77
जोड़				1,284.57	11,589.35			12,873.92
पूंजीकरण/विलोपन								-
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	3,331.99	27,757.70	-	-	31,089.69
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-	3,331.99	27,757.70	-	-	31,089.69
जोड़								-
पूंजीकरण/विलोपन				(3,331.99)	(27,757.70)			31,089.69)
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	(0.00)	-	-	-	(0.00)
संचित हानि								
1 अप्रैल, 2022 तक								-
वर्ष के लिए शुल्क								-
विलोपन/समायोजन								-
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क								-
विलोपन/समायोजन								-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि								
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	(0.00)	-	-	-	(0.00)
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	3,331.99	27,757.70	-	-	31,089.69

नोट 3.3 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2022 तक	
जोड़	
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/विलोपन	
31 मार्च, 2023 तक	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-
जोड़	
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/विलोपन	
31 मार्च, 2024 तक	-
संचित हानि	
1 अप्रैल, 2022 तक	
वर्ष के लिए शुल्क	
विलोपन/समायोजन	
31 मार्च, 2023 तक	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	
विलोपन/समायोजन	
31 मार्च, 2024 तक	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च, 2024 तक	-
31 मार्च, 2023 तक	-

नोट 3.4 : अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषणात्मक परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:					
1 अप्रैल, 2022 तक					-
जोड़					-
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-	-	-
जोड़			29,885.80		29,885.80
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	29,885.80	-	29,885.80
संचित परिशोधन					
1 अप्रैल, 2022 तक					-
वर्ष के लिए शुल्क			-		-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			1,193.47		1,193.47
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	1,193.47	-	1,193.47
संचित हानि					
1 अप्रैल, 2022 तक					-
वर्ष के लिए शुल्क					-
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-		-
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि					
31 मार्च ,2024 तक	-	-	28,692.33	-	28,692.33
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-	-	-

1. एमसीएल की सहायक कंपनी एमसीआरएल के मामले में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर जो कि कैपिटल डब्ल्यूआईपी का हिस्सा था, को इस वर्ष से अमूर्त संपत्ति माना गया है। तदनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी संपत्ति का वहन मूल्य ₹ 28706.07 लाख था, जिसे वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और अमूर्त संपत्ति के तहत रेल कॉरिडोर के रूप में दर्ज किया गया है और अप्रैल से जून 23 तक रेल कॉरिडोर के चरण -1 के लिए किए गए ₹ 605.97 लाख के व्यय को वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और अमूर्त संपत्ति के तहत रेल कॉरिडोर के रूप में दर्ज किया गया है।

नोट 3.5 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

	ईआरपी विकासाधीन	विकासाधीन रेल कॉरिडोर 1	कुल
वहन राशि:			
1 अप्रैल, 2022 तक	-		-
जोड़	-		-
पूंजीकरण/विलोपन	-		-
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-
जोड़		235.99	235.99
पूंजीकरण/विलोपन		2,383.63	2,383.63
31 मार्च ,2024 तक	-	2,619.62	2,619.62
संचित हानि			
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-
विलोपन/समायोजन			-
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-
1 अप्रैल,2023 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-
विलोपन/समायोजन			-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-
निवल वहन राशि			
31 मार्च ,2024 तक	-	2,619.62	2,619.62
31 मार्च ,2023 तक	-	-	-

1. एमसीएल की सहायक कंपनियों में एमसीआरएल के मामले में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर जो कि पूंजीगत कार्य प्रगति का हिस्सा था, को इस वर्ष से निर्माणधीन अमूर्त संपत्ति माना गया है। तदनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी संपत्ति का वहन मूल्य ₹2383.63 लाख था, जिसे वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे विकासाधीन अमूर्त संपत्ति के तहत निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर के रूप में दर्ज किया गया है।

नोट - 4.1 :निवेश

(₹ लाख में)

	होल्डिंग का %	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू			
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)		-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)		-	-
कुल		**-**	**-**

चालू			31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
म्यूचुअल फंड (अउद्धृत)	**इकाइयों**	**एनएवी (₹)**		
कुल			-	-

4.1.1 उद्धृत/अउद्धृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण

	गैर चालू		चालू	
	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
अउद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश का कुल योग:	-	-	-	-
नवीनतम निवेश का कुल योग	-	-	-	-
निवेश के मूल्य में कुल हानि राशि:	-	-	-	-

नोट - 4.2 : ऋण

	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	
-ऋण हानि	-	
	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
		-
निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
-असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	
- ऋण हानि	-	1
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.2.1	-	
		-
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति	-	-
कुल	-	-
चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
-सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
-ऋण हानि	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.2.1	-	-
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
-ऋण हानि	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
कुल	-	-

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष (चालू और गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-

4.2.2संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

नोट - 4.3: व्यापार प्राप्तियां	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
सुरक्षित माना जाता है अच्छा	1,367.51	
असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	-	
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	
ऋण हानि	-	
	1,367.51	-
घटाव : अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता 4.3.1	-	
कुल	**1,367.51**	-

"4.3.1 कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के ऋण घाटे के लिए भत्ते का निर्धारण करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि भत्ते की गणना कर व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स पिछली ऋण हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय प्राप्तियों की आयु और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	-	
अवधि के अंत में शेष	-	-

7. व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
विवरण	**अदेय बकाया**	**6 महीने से कम**	**6 महीने 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है		1,367.51					1,367.51
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii)निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण हानि							-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है							-
(iv)विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि							-
कुल		**1,367.51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,367.51**
अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)- %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

31.03.2024 तक

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची	**लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**						
विवरण	**अदेय बकाया**	**6 महीने से कम**	**6 महीने 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है		-					-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(iii)निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण हानि							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v)विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि							-
कुल		-	-	-	-	-	-
अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

नोट - 4.4 : नकदी और नकदी समकक्ष	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
बैंकों के पास शेष राशि		
-जमा खातों में	3,178.03	57.52
- चालू खातों में	3.37	8.26
भारत के बाहर बैंक बैलेंस	-	-
प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी 4.4.1	-	-
चेक, ड्राफ्ट और टिकट हाथ में	-	-
नगद	-	-
भारत के बाहर नगद	-	-
अन्य 4.4.2	-	
कुल	**3,181.40**	**65.78**

4.1नकदी और नकदी समतुल्य में उपलब्ध नगद, बैंक, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

नोट - 4.5 : अन्य बैंक शेष	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
बैंकों के पास शेष		
जमा खाते	-	
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 4.5.1)	-	
कुल	-	-

4.5.1"विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/चिह्नित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में - विशिष्ट प्रयोजनों और बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है, जमाराशियां शामिल हैं। - नोट 16 का पैरा 4(डी) देखें।

नोट - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा राशि	-	
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां	-	
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा4.6.2	-	
वित्त पट्टा प्राप्य4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्य4.6.5	-	
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1	-	
कुल	-	-

चालू	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव:संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता 4.6.1	-	-
	-	-
मुख्यालय, होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष	-	
घटाव: सहायक कंपनियों के पास संदिग्ध शेष राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
IICM का बकाया	-	-
अर्जित ब्याज	3.48	0.69
वित्त पट्टा प्राप्य 5	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	2.64	1.72
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1	-	-
	2.64	**1.72**
कुल	**6.12**	**2.42**

4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-

4.6.4 पट्टा

वित्त पट्टा

(i) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	-	-

(ii) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

परिचालन लीज़

(iii) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय लीज़ भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करती है	-	-
कुल	-	-

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम राशि तथा शेष वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बिना छूट वाला पट्टा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

(v) 31.03.2024 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में निवल वहन मूल्य**	**वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि**	**वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन**	**वर्ष के समापन पर निवल वहन मूल्य**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में निवल वहन मूल्य**	**वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि**	**वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन**	**वर्ष के समापन पर निवल वहन मूल्य**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

4.6.6 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

नोट - 5.1 : माल	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
तैयार माल	-	
विकास परियोजनाओं में माल	-	-
घटाव: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
भंडार, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंटरी (निवल) 5.1.3	-	-
घटाव: धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलती और अप्रचलित इन्वेंट्री के लिए प्रावधान		
	-	-
कुल	-	-

5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में परिवर्तन का ब्यौरा

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

"5.1.2 स्टोर और स्पेयर की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, अचल और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं। इन वस्तुओं के लिए कंपनी की नीति के अनुसार प्रावधानों को मान्यता दी जाती है।

धीमी गति से चलने वाले,अचल और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर और अन्य इन्वेंट्री के लिए प्रावधानों में संचालन का विवरण:"

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त		
अवधि के दौरान उपयोग की गई		
अवधि के अंत में शेष	-	-

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

टिप्पणी - 6.1: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
पूंजीगत अग्रिम	9,267.89	10,070.23
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता6.1.1	-	
	9,267.89	**10,070.23**
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	8.42	8.42
घटाएँ : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता6.1.1	-	
	8.42	8.42
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	**9,276.31**	**10,078.65**

6.1.1 खराब और संदिग्ध जमा और प्राप्य (गैर-चालू) के लिए भत्ते में आंदोलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

टिप्पणी - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	
घटाएँ: संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता6.2.1	-	
	-	-
अन्य जमा और अग्रिम6.2.2 और 6.2.3	-	0.06
घटाव : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता6.2.1	-	
	-	**0.06**
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य6.2.4	56.92	
कुल	**56.92**	**0.06**

6.2.1 खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों तथा जमाओं के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (वर्तमान)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

नोट - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी		
"90005000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए (P.Y.90005000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए)"	9,000.50	9,000.50
कुल	**9,000.50**	**9,000.50**
: पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के उपकरण		
इक्विटी अंशदान के लिए ब्याज मुक्त ऋण	**29,250.00**	**-**
(एमसीएल: रु. 20800 लाख और इरकॉन रु. 8450 लाख)		
कुल	**29,250.00**	**-**

7.1.1 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में रखे गए शेयर

शेयरधारक का नाम	**धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक)**	**कुल शेयरों का %**	**वर्ष के दौरान % परिवर्तन**	**कुल शेयरों का %**	**% वर्ष के दौरान परिवर्तन**
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	64000000	71.107	0.000	100.00	0.00%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामिती	26000000	28.887	0.000	100.00	0.00%

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

विवरण	**शेयर की संख्या**	**राशि**
31.03.2019 को शेष राशि	50,000	500,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष राशि	50,000	500,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष राशि	50,000	500,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	89,955,000	899,550,000.00
31.03.2022 को शेष राशि	90,005,000	900,050,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	90,005,000	900,050,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि	90,005,000	900,050,000.00

7.1.3 कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंज़ूरी के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

टिप्पणी - 7.2 : अन्य इक्विटी

	31.03.2024 तक	**31.03.2024 तक**
पूंजी मोचन रिजर्व	-	-
पूंजी रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	-	-
प्रतिधारित आय	(294.99)	(136.88)
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**(294.99)**	**(136.88)**

(क) पूंजी मोचन रिजर्व

	31.03.2024 तक	**31.03.2024 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान जोड़	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) पूंजी मोचन रिजर्व का विवरण			
विवरण		**"मूल्य (₹लाख में)"**	**वर्ष**
इक्विटी शेयर की पुनर्खरीद			
कुल		0	

(ख) पूंजी रिजर्व

	31.03.2024 तक	**31.03.2024 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

(ग) सामान्य रिजर्व

	31.03.2024 तक	**31.03.2024 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
सामान्य रिज़र्व में/से स्थानांतरण	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

सामान्य रिज़र्व एक मुक्त रिज़र्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) (i) प्रतिधारित आय

	31.03.2024 तक	**31.03.2024 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(136.88)	(93.44)
अवधि के लिए लाभ	(158.11)	(43.44)
अंतरिम लाभांश	-	
अंतिम लाभांश	-	
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय में स्थानांतरण)	-	-
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	**(294.99)**	**(136.88)**

(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा(i)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**-**	**-**
कुल (घ(i) + (ii))	**(294.99)**	**(136.88)**

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) (कर के बाद शुद्ध)शामिल है

(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का अब तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की गई है।

(ड़) अन्य व्यापक आय की मदें

(अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
बाह्य परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण पर विनिमय मतभेद		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

टिप्पणी - 8.1 : उधार	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
गैर-चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से 8.1.1 और 8.1.2		
सुरक्षित	-	
असुरक्षित	-	-
अन्य से8.1.3		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
बैंक से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता 8.1.1	-	-

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं

गैर - चालू	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि		
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत		
पट्टा देनदारियों का भुगतान		
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

चालू

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	-	
पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-वर्तमान और चालू):

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
"1 वर्ष तक 1-5 वर्ष 5 वर्ष से अधिक"		
1-5 वर्ष		
5 वर्ष से अधिक		

8.2.2 31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के दौरान वृद्धि**	**अवधि के दौरान विलोपन**	**अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि					
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनें					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग	0	29885.80157		28692.33	1193.47
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

31.03.2023 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के दौरान वृद्धि**	**अवधि के दौरान विलोपन**	**अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि					
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनें					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

पट्टे की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें कई तरह के अलग-अलग नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि जब तक कंपनी के पास संपत्ति को किसी अन्य पक्ष को उप-पट्टे पर देने का कोई संविदात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, प्रत्येक पट्टे को बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता के रूप में दर्शाया जाता है। अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य के पट्टों के लिए किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष आधार पर व्यय किया जाता है।

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		
	-	-

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह का खुलासा

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद निकासी		
	-	-

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं	**31.03.2024 तक**
चालू	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	29.95
कुल	**29.95**

8.3.1 व्यापार देयताएं आयु निर्धारण अनुसूची

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य	155.32				155.32
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया -अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	**155.32**	**-**	**-**	**-**	**155.32**

31.03.2024 तक

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य	29.95				29.95
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया -अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	**29.95**	**-**	**-**	**-**	**29.95**

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
एमसीएल के साथ चालू खाता	5,047.37	24,569.60
इरकॉन का चालू खाता	632.03	5,493.49
सुरक्षा खाता	-	-
बयाना राशि	0.60	0.60
पूंजीगत व्यय के लिए देय	334.55	1,007.31
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	12.82	18.77
अन्य8.4.2 और 8.4.3	1,076.15	1,234.91
कुल	**7,103.53**	**32,324.69**

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
एक्स-ग्रेसिया	-	-
प्रदर्शन से संबंधित वेतन	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ9.1.4	-	-
	-	-
साइट बहाली/ खदान बंद करना	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

	वर्ष की शुरुआत में संतुलन	अवधि के दौरान प्रभारित	अवधि के दौरान उपयोग किया गया	अवधि के अंत में शेष राशि
अनुग्रह राशि	-	-	-	0.00
कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन	-	-	-	0.00
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-	-	0.00
अन्य	-	-	-	0.00

टिप्पणी - 10.1 : अन्य गैर चालू देयताएं	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य	-	
कुल	-	-

टिप्पणी - 10.2 : अन्य चालू देयताएं	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
वैधानिक बकाया	4.00	35.27
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम राशि	-	
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य देयताएँ2	-	-
कुल	4.00	35.27

टिप्पणी - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं		**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
आयकर संपत्तियाँ			
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		0.58	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त		8.18	0.58
अवधि के दौरान उलटफेर/वापसी		(0.58)	-
अवधि के समापन पर शेष राशि		8.18	0.58
आयकर देयताएँ			
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	(14.1 और 15.1 देखें)	-	-
अवधि के दौरान उलटफेर/समायोजन		-	-
अवधि के समापन पर शेष राशि		-	
अंत में निवल आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)		**8.18**	**0.58**
के अनुसार घोषणा :			
गैर चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (निवल)		-	-
आयकर देयताएं (निवल)		-	-
चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (निवल)		8.18	0.58
आयकर देयताएं (निवल)		-	-
		8.18	0.58

टिप्पणी - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.2023 तक शेष राशि	अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/(उलट)	अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
संदिग्ध अग्रिम, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान				-
कर्मचारी लाभ				-
अन्य				-
(क) का योग	-	-	-	-
आस्थगित कर देयता:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित				-
अन्य	-			-
(ख) का योग	-	-	-	-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (ग= क-ख)	-	-	-	-
"घ. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन DTL(+)/DTA(-)"	-			-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (ड़ =ग+घ)	-	-	-	-

के अनुसार घोषणा :	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-	-
आस्थगित कर देयता	-	-

(₹ लाख में)

टिप्पणी - 12.1 : संचालन से राजस्व	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विक्रय		
विक्रय	-	
घटाव: वैधानिक लेवी	-	
विक्रय (शुद्ध) (ए) 12.1.1, 12.1.2 और 12.1.3	-	-
ख. अन्य संचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	-
लदान एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
निकासी सुविधा शुल्क		
घटाव: वैधानिक लेवी		
सेवाओं से राजस्व4	2,093.08	
घटाव: वैधानिक लेवी	-	
	2,093.08	-
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (ख)	**2,093.08**	-
संचालन से राजस्व (क+ख)	**2,093.08**	-

टिप्पणी- 12.2 : अन्य आय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय12.2.1	109.79	5.87
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
परिसंपत्ति की विक्रय पर लाभ	-	
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड के विक्रय पर लाभ	-	
पट्टा किराया12.2.2	-	
प्रावधान वापस लिखा गया12.2.2	-	
दायित्व वापस लिखा गया	-	
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	
विविध आय12.2.3	0.03	
कुल	**109.82**	**5.87**

12.2.1 आयकर रिफ़ंड पर ब्याज शामिल है ₹ 111.79 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

12.2.2 वापस लिखे गए प्रावधान का विवरण		
निगम और कर्मचारियों को दिए गए ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	-	-

टिप्पणी 13.1: सामग्री खपत की लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	-	
लकड़ी	-	
तेल और लुब्रिकेंट	-	
एचईएमएम पुर्जे	-	
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे	-	
कुल	-	-

नोट - 13.1(ए) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

टिप्पणी 13.2: तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
कोयले की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	
राजस्व में लाया गया आरंभिक स्टॉक	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	-	
	-	-
कार्यशाला और प्रेस जॉब्स की इन्वेंट्री में बदलाव		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	
वर्ष के अंत में स्टॉक	-	
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
वेतन एवं मजदूरी13.3.1 & 13.3.2	146.27	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	-	
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	
कुल	**146.27**	**-**

टिप्पणी 13.4 : वित्तीय लागत	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
ब्याज व्यय		
छूट की समाप्ति	-	
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधार लागत13.4.1	822.86	-
कुल	822.86	-

टिप्पणी - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	6.84	-
प्रगति में पूंजीगत कार्य (नोट 3.2)	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.4)	1,193.47	-
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	-
	1,200.31	-
घटाव :		
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय में स्थानांतरित	-	
कुल	**1,200.31**	**-**

वर्ष के दौरान कंपनी ने तकनीकी रूप से संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी कार्यकाल का मूल्यांकन और समीक्षा की है। लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन में ₹ 0.00 की वृद्धि (कमी) हुई है। भविष्य की अवधि में प्रभाव की घोषणा नहीं की गई है क्योंकि इसका अनुमान लगाना अव्यवहारिक है।

13.6.1 अग्रिम स्ट्रिपिंग से तात्पर्य उस अवधि के दौरान अतिरिक्त भार हटाने से है जो उस अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अग्रिम स्ट्रिपिंग को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिससे किसी परियोजना (खदान) में कोयले तक पहुँच में सुधार होता है।

टिप्पणी - 13.7: संविदागत व्यय	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
परिवहन शुल्क	-	
वैगन लोडिंग	-	
प्लांट और उपकरणों को किराए पर लेना	-	
अन्य संविदात्मक कार्य	17.65	
कुल	17.65	-

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
बिजली खर्च	10.15	
मरम्मत और रखरखाव		
-बिल्डिंग	-	
-प्लांट और उपकरण	-	
-अन्य	130.80	
यात्रा खर्च	0.34	0.55
प्रशिक्षण खर्च	-	
टेलीफोन और इंटरनेट	0.49	0.64
विज्ञापन और प्रचार	-	
माल ढुलाई शुल्क	-	
विलंब	-	
अंडर लोडिंग शुल्क	-	
कोयला नमूनाकरण शुल्क	-	
सुरक्षा व्यय	-	
कानूनी खर्च	-	
सीआईएल के सेवा शुल्क	-	
परामर्श शुल्क	2.77	9.55
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	-	
संपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	-	
ऑडिटर का पारिश्रमिक और व्यय		
ऑडिट फीस के लिए	1.19	0.93
कर मामलों के लिए	-	
अन्य सेवाओं के लिए	-	
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.53	0.45
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	0.47	0.40
पुनर्वास शुल्क	-	
लीज़ किराया और किराये पर लेने के शुल्क1	12.57	17.64
दरें और कर	-	
बीमा	-	

विनिमय दर भिन्नता पर हानि	-	
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय13.4.2	-	
दान, पुरस्कार और अनुदान	-	
प्रावधान13.4.1	-	
बट्टे खाते में डालना (पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों के बट्टे खाते में डालने के बाद)	-	
विविध व्यय	14.61	19.16
कुल	**173.92**	**49.32**

13.4.1 प्रावधानों का विवरण

निगम और कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	-	-

टिप्पणी - 14.1 : कर व्यय	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
चालू वर्ष	-	
पिछले वर्ष	-	-
कुल चालू कर	-	-
आस्थगित कर	-	
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	
कुल	-	-

14.1.1 कर व्यय का समाधान:

कर से पहले लाभ/(हानि)	#REF!	#REF!
आयकर दर 25.168% (31.03.2022: 25.168%) पर	-	-
घटाएँ: छूट प्राप्त आय पर कर		
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय)	-	
MAT प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	-	-
प्रभावी आयकर दर:	#REF!	#REF!

14.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए नोट 11.2 देखें

टिप्पणी - 15.1 : अन्य व्यापक आय	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन1	-	
	-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	
	-	-
मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	
"विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय भिन्नता "	-	-
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
कुल	-	-

नोट - 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1 a) **आकस्मिक देयताएं**

I. कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**	**अन्य**	**कुल**
दिनांक 01-04-2023 तक प्रारम्भिक शेष	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान योग					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से					-
ख. वर्ष के दौरान योग से					-
31.03.2024 को समापन	-	-	-	-	-

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**	**अन्य**	**कुल**
दिनांक 01-04-2022 तक प्रारम्भिक शेष					-
वर्ष के दौरान योग					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से					-
ख. वर्ष के दौरान योग से					-
31.03.2023 को समापन	-	-	-	-	-

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता

क्र.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
1	**केन्द्रीय सरकार**		
	आय कर		
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क		
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर		
	केंद्रीय विक्रय कर		
	सेवा कर		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप-योग	-	-
2	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**		
	रॉयल्टी		
	पर्यावरण मंज़ूरी		
	विक्रय कर/वैट		
	प्रवेश कर		
	विद्युत शुल्क		
	अन्य		
	उप-योग	-	-
3	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**		
	मध्यस्थता कार्यवाही		-
	कंपनी के अधीन मुक़दमेबाज़ी के विरुद्ध मुकदमा		-
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-
	उप-योग	-	-
4	**अन्य: (यदि कोई हो)**		
	विविध - भूमि एवं अन्य		
	कर्मचारी संबंधित और आदि		
	उप-योग	-	-
	कुल योग	-	-

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. गारंटी

31.03.2024 तक जारी बैंक गारंटी ₹ 0.00 लाख (P.Y.₹0.00 लाख) है।

III. साख पत्र

31.03.2024 तक बकाया साख पत्र शून्य (P.Y. शून्य) है।

b) प्रतिबद्धताएँ

31.03.2024 तक शून्य

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

क) समूह की जानकारी

i) प्रमोटर कंपनियाँ

S.no.	इकाई का नाम	मुख्य गतिविधियाँ	इसके निगमन का देश	% इक्विटी ब्याज 31.03.2024	31.03.2023
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	71.107	71.107
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	रेल अवसंरचना और परामर्श	भारत	28.887	28.887

दिनांक 31.03.2024 को बकाया शेष राशि और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन" **(₹ लाख में)**

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष देय राशि
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड						-	5,047.37
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड							632.03
कुल वर्तमान अवधि	-	-	-	-	-	-	**5,679.40**

iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		
नाम	**पदनाम**	**से प्रभावी**
श्री केशव राव	अध्यक्ष	01.11.2023
श्री ए.के. बेहुरा	निदेशक	01.11.2023
श्री एस.के. सिन्हा	निदेशक	21.07.2023
श्री एस.के. सेठी	निदेशक	01.11.2023
श्रीमती रागिनी आडवाणी	निदेशक	21.07.2022
श्री पराग वर्मा	निदेशक	21.07.2023
श्री प्रियरंजन पाढी	निदेशक	09.05.2022
श्री एस नायक	सीईओ	05.12.2021
श्री बी.के. परिडा	सीएफ़ओ	01.04.2022
श्री एस.के. बेहरा	कंपनी सचिव	28.06.2022

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2024	31.03.2023
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
a.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	7.15	4.21
b.	स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस	-	-
ii)	नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ	-	0
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ		
iv)	समाप्ति लाभ		-
v)	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल	**7.15**	**4.21**

नोट:

VI) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया राशि का संतुलन (₹ लाख में)

क्र.	विवरण	31.03.2023
i)	देय राशि	-
ii)	प्राप्य राशि	-

VIII) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

3 अन्य

a) अधिकृत पूंजी (₹ लाख में)

	31.03.2024	31.03.2023
₹ 10/- प्रत्येक के 100000000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता	10000	10000

4 उचित मूल्य माप

(a) वर्गवार वित्तीय साधन (₹ लाख में)

	31-03-2024		31-03-23	
	एफ़वीटीपीएल	**परिशोधित लागत**	**एफ़वीटीपीएल**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
वरीयता शेयर				
इक्विटी घटक				
ऋण घटक				
सुरक्षित बॉन्ड				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				
ऋण				
जमा एवं प्राप्य		6.12		2.42
व्यापार प्राप्य*		1,367.51		

नगद एवं नगद समतुल्य	3,181.40	65.78
अन्य बैंक शेष		
वित्तीय देयताऐं		
उधार		
व्यापार देय		
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	0.60	0.60
पट्टा देयताएं		
अन्य देयताऐं		

(b) उचित मूल्य अनुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (a) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (b) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों की घोषणा की जाती है । उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया	**31-03-2024**		**31-03-23**	
	स्तर 1	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 3**
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए दिनांक 31.03.2023 को उचित मूल्यों का प्रकटन किया जाता है।

	31-03-2024		31-03-23	
	स्तर 1	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 3**
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
वरीयता शेयर				
इक्विटी घटक		0		0
ऋण घटक		0		0
सुरक्षित बॉन्ड				
ऋण				
जमा एवं प्राप्य		6.12		2.42
व्यापार प्राप्य*		1,367.51		
नगद एवं नगद समतुल्य		3,181.40		65.78
अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देयताऐं				
उधार				
व्यापार देय				
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि		0.60		0.60
पट्टा देयताएं				
अन्य देयताऐं				

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं तो साधन को शामिल किया जाता है

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

(c) **उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक**

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) **महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप**

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(e) **परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य**

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के कार्य निशादन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोके रखने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

5 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला एक्सपोजर	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य तथा परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां	काल प्रभाव विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण ।
नगदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं।
बाजार जोखिम-विदेशी विनिमय	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आईएनआर में नहीं दर्शाया गया है	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

A. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी शर्तों के भाग के रूप में शामिल किया जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

B. नगदी जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएँ शामिल हैं) और नकदी और नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन के साथ, कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

6 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (इंड एएस-19)

कर्मचारियों को एमसीएल से प्रतिनियुक्त किया जाता है, वेतन मूल कंपनी द्वारा दिया जाता है और आवश्यक डेबिट कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है।

7 अन्य सूचना

a) सेगमेंट रिपोर्टिंग

समूह का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और उससे संबंधित सेवाएँ हैं। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार, समूह के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

(b) Lease

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई संपत्ति	अनुबंध वैध अवधि	प्रति वर्ष पट्टे किराया	टिप्पणियाँ

(c) चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि।

सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

(d) शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी आवधिक आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा और परिणामों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

(e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(f) समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

(g) अनुपात			
विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	भिन्नता
(a) चालू अनुपात: चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। इसका व्यापक रूप से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के बारे में निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।	0.6361	0.0021	29828%
(b) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। ये दोनों संख्याएँ कंपनी की बैलेंस शीट में पाई जा सकती हैं। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।	0.0000	0.0000	0%
"(c)ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती ""कर के बाद शुद्ध लाभ"" का अर्थ है ""अवधि के लिए लाभ / (हानि)"" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की मदें शामिल नहीं हैं। "	0.0000	0.0000	0%
(d) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न(प्रतिफल): यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात बताता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी धारकों के फंड की लाभप्रदता का किस तरह उपयोग किया गया है। यह इक्विटी धारकों को मिलने वाले प्रतिशत प्रतिफल को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ में से वरीयता लाभांश (यदि कोई हो) घटाया जाता है) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से भाग दिया जाता है	-0.0068	-0.0049	39%
"(ई) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत और अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत इन्वेंट्री से विभाजित करके की जाती है। औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) है। जब इन्वेंट्री के प्रारंभिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना इन्वेंट्री के समापन शेष द्वारा COGS या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है।"	0.0000	0.0000	0%
"""(f) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते शुद्ध क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाया जाता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की क्रेडिट बिक्री, आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्य के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।"" "	0.0000	0.0000	0%

"""(g) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात: यह दर्शाता है कि किसी अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना शुद्ध ऋण खरीद को औसत लेनदारों से विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = शुद्ध ऋण खरीद / औसत व्यापार देय शुद्ध ऋण खरीद में सकल ऋण खरीद में से खरीद रिटर्न घटाया जाता है जब ऋण खरीद, व्यापार लेनदारों के आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार लेनदारों के समापन शेष से विभाजित करके की जाती है।"""	0.0000	0.0000	0%
"""(h) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाकर की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों में से चालू देनदारियों को घटाकर की जाएगी।"" "	-0.7032	0.0000	0%
"""(i) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद होगा। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।"" "	-0.0755	0.0000	0%
"""(j) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर रिटर्न कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा। आरओसीई = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता"" "	0.0175	0	0%
(k) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।			
(i) असूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: उप-सूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।	0.0000	0.0000	0%
	0.0000	0.0000	0%
	0.0000	0.0000	0%
	0.0000	0.0000	0%
(v) जमाराशियों पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सहित आईसीडी के साथ) = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%

8 विविध जानकारी

i. जहां भी आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

ii. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा हैं और 12 से 13 लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी 1 से 16 तक हस्ताक्षर

- हमारी संलग्न लेखा परिसा के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(एस. के. बेहरा)	**(बी. के. परिदा)**	**(एस. नायक)**	**मिश्रा बढाई एंड एसोसिएट्स के लिए**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सनदी लेखाकार
			फर्म पंजीयन संख्या - 322053E

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(एस.के.सिन्हा)	**(केशव राव)**	**(सनदी लेखाकार एस मुखर्जी)**
निदेशक	अध्यक्ष	साझेदार
डीआईएन: 10368492	डीआईएन: 08651284	(सदस्यता संख्या 060219)

तारीख:
स्थान:

टिप्पणी

MAHANADI COAL RAILWAY LIMITED

(A Joint Venture of MCL, IRCON and IDCO)

5th Floor, OSHB Building, Plot No.A/32,
Sachivalaya Marg, Kharavel Nagar, Bhubaneswar
Odisha, PIN-751001, Phone: 0674-2532171, Fax.0674-2536171